सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक

सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक २३ से २५ जुलाई को बंगलौर में संपन्न हुई. इसमें अगस्त १९८१ में बेलूर, हावड़ा में संपन्न पिछली जनरल काउंसिल की बैठक के बाद की स्थिति का जायजा लिया गया और विभिन्न समस्याओं से संबंधित कई फैसले लिए गए. इसमें एकजुट संघर्षों के विकास का भी जायजा लिया गया जिसके तहत पिछली १९ जनवरी को एक दिन की देशव्यापी आम हड़ताल हुई. इसने अधिनायकवाद का मुकाबला करने के लिए फौरी एकता का जोरदार आह्वान किया.

बैठक से पहले बैठक स्थल 'देवंग संघ' हाल के पास २३ जुलाई को सीटू अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने झंडा फहराया. लगभग ३०० वालंटियरों ने लाल कमीजें पहने परेड की और लाल झंडे को सलामी दी. वर्किंग कमेटी के ६० सदस्यों ने बैठक में भाग लिया.

शहीदों व कामरेड ए. बालसुब्रह्मण्यम, जयपाल सिंह, ज्योतिर्मय बसु, व पंकज आचार्य पर शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद बी० टी० रणदिवे ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया.

क्रिडेंशल कमेटी

बैठक ने क्रिडेंशल कमेटी बनाई जिसके ए० नल्लासिवन, संयोजक तथा पारसा सत्यनायण, ओ. भरथन, चित्तव्रत मजूमदार व टी. एन. नंबिराजन सदस्य थे.

प्रस्ताव सब-कमेटी

एक प्रस्ताव सब-कमेटी बनी जिसके नृसिंह चक्रवर्ती, संयोजक तथा आर० उमानाथ, सुनील बसुराय, बिरेन राय, के. एन. रविंद्रनाथ व पी. संजगिरी सदस्य थे.

अध्यक्षीय भाषण व महासचिव की रिपोर्ट के अलावा सदस्यों में जो रिपोर्टें वितरित की गई वे इस प्रकार हैं:

१. ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के कार्य पर एम. के. पंधे की रिपोर्ट.

२. आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटियों के महासचिवों की रिपोर्टें.

३. आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया, एच एस सी एल वर्कर्स व बीड़ी वर्कर्स की आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटियों के महासचिवों/संयोजकों की रिपोर्टें.

राष्ट्रीय अभियान समिति

एम० के० पंधे की रिपोर्ट पर हुई बहस में बिरेन राय, एन. प्रसाद राव, एस० सूर्यनारायण राव, मनोरंजनराय, सुशील भट्टाचार्य, के० रमणी, एन० पद्मालोचन व पी० के० कुरणे ने हिस्सा लिया.

बहस का समापन करते हुए बी० टी० रणदिवे ने कहा कि नोट करनेवाला आम मुद्दा यह है कि हम वर्ग संघर्ष पर आधारित सैद्धान्तिक एकता के लिए संघर्ष करते हैं. यह सोचना ठीक

वर्किंग कमेटी की बैठक का एक दृश्य

नहीं होगा कि हम कुछ सिद्धांतों पर केवल इसलिये संघर्ष करना छोड़ दें कि कुछ उनसे सहमत नहीं हैं और अलग हो सकते हैं. इस बारे में हमें अपनी स्वतंत्र ताकत का निर्माण करना होगा और लचीले उपाय अपनाने होंगे. सीटू को ट्रेड यूनियनों का एक कनफेडरेशन बनाने के लिये फिर से आह्वान करना चाहिये. शासक का पार्टी के बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक एकता बनाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन के निर्माण की हमारी नीति को कार्यान्वित करने का बैठक ने फैसला लिया.

कोयला उद्योग

एम० के० पंधे ने कोयला उद्योग में गंभीर स्थिति की रिपोर्ट पेश की. सुनील बसु राय, चंडी प्रसाद व एस० कुमार ने बहस में हिस्सा लिया. बैठक ने फैसला लिया कि अगस्त में धनबाद में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने वाली अन्य यूनियनों के साथ सीटू सांकेतिक हड़ताल के सवाल पर विचार करे.

जूट उद्योग

कमल सरकार ने पश्चिम बंगाल में जहां १७ मिल बन्द पड़े हैं जूट उद्योग के बारे में रिपोर्ट पेश की. १० अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान पहले ही किया जा चुका है. इंटक नेताओं का एक हिस्सा भी समर्थन कर रहा है.

ज्योति बसु का भाषण

इसके बाद सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति बसु ने बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हम सबको यह समझना चाहिये कि मजदूर वर्ग को अपने हड़ताल के अधिकार से वंचित करने के लिये उठाए गये अधिनायकवादी कदमों के साथ-साथ सरकार व शासक पार्टी एक सैद्धांतिक हमला कर रही है. सीटू को अपने अभियान को तेज करना चाहिए और ठीक तरह से इस सैद्धांतिक हमले का मुकाबला करना चाहिये. उन्होंने सदस्यों का ध्यान आई एम० एफ कर्ज, जिसके बारे में सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया, कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने में इसकी अयोग्यता, इस द्वारा मजदूरों को उचित वेतन देने से इन्कार करने और उत्पादकता वेतन को जोड़ने की कोशिश की ओर दिलाया और कहा कि ये सब मजदूरों के जीवन पर असर डालते हैं. उन्होंने खासतौर से उद्योग में बढ़ती रुग्णता की ओर इशारा किया. जूट उद्योग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने जूट सामंतों को आलोचना की कि उन्होंने न केवल मजदूरों को उनका जायज वेतन नहीं दिया है बल्कि जूट पैदा करने वाले किसानों को भी कच्चे जूट के लिए लाभकारी दाम नहीं दिए हैं. उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि वे जन संघर्षों के साथ-साथ इस तरह से अभियान करें जिससे मजदूरों की चेतना का स्तर बढ़े.

सीटू का पांचवा सम्मेलन

सम्मलन के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीके पर विचार हुआ. आर० उमानाथ, एम० एम० लारेंस, मनोरंजन राय, रोबिन मुखर्जी, एम०के० पंधे प्रभाकर संजगिरि, नृसिंह चक्रवर्ती, एम० सूर्य नारायण राव, बिमल चटर्जी व एम प्रसाद राव ने इसमें भाग लिया.

सबकी सहमति से प्रतिनिधियों की कुल संख्या २,५०० तय की गई. इसे विभिन्न राज्यों में उस सदस्यता के आधार पर वितरित किया जाएगा जिसके चंदे की राशि प्राप्त की जा चुकी है. यह भी फैसला लिया गया कि राज्यों में प्रतिनिधियों का चुनाव ५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर हो. राज्य कमेटियां इस बात का ध्यान रखें कि सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि सभी उद्योगों व मजदूरों की सभी श्रेणियों से चुने जायें.

सम्मेलन के स्थान व इसकी तारीख के बारे में सदस्यों का विचार था कि यह कलकत्ता में मई १९८३ में आयोजित हो. उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष हर सहाय सिंह ने सम्मेलन को कानपुर में आयोजित करने का निमंत्रण दिया. यह फैसला किया गया कि पश्चित बंगाल राज्य कमेटी इस सवाल पर विचार करे और इसके बारे में केन्द्र को १५ दिन के अन्दर बताए ताकि सेक्रेटेरियट इस पर अन्तिम फैसला ले सके.

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन का सम्मेलन सिलिगुड़ी में सितंबर में आयोजित करने का फैसला किया गया.

प्रस्ताव

'श्रम विरोधी काले विधेयक' युद्ध का बढ़ता खतरा और शांति के लिए संघर्ष', 'फिलिस्तीन पर इस्राइली हमले', 'उद्योगों में रुग्णता', 'महिलाओं पर अत्याचार' 'बंबई कपड़ा हड़ताल', तथा अन्य प्रस्तावों पर बहस हुई व उन्हें अपना लिया गया. बंबई के कपड़ा मजदूरों के समर्थन में १२ अगस्त को एकजुटता दिवस मनाने का फैसला किया गया.

राजस्थान की स्थिति

राजस्थान सीटू की मौजूदा स्थिति का सवाल भी लिया गया. मोहन पुनमिया को अपनी स्थिति बताने को कहा गया. उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य कमेटी के महासचिव ने कुछ यूनियनों के चुनाव कराए थे और इस तरह उन्होंने कई यूनियनों में विभाजन पैदा किया. उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं यदि इससे फिर से एकता स्थापित होने तथा सीटू की साख बढ़ाने मदद मिलती है.

महासचिव दुर्गादास शिराली ने बताया कि किस प्रकार मोहन पुनमिया एक सामानांतर सीटू केन्द्र चला रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न केंद्रों में अविश्वसनीय नेतृत्व को समर्थन दे रहे हैं. उन्होंनेबताया कि अब आम सदस्य आगे आ गए हैं इसलिए कोटा में अविश्वसनीय नेतृत्व कोटा में ट्रेड यूनियन गतिविधियों को स्थिर करने के लिए अदालत में चले गए हैं. बैठक ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया.

राजस्थान पर प्रस्ताव

"वर्किंग कमेटी राजस्थान में उत्पन्न स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करती है जहां राजस्थान का मजदूर वर्ग अपने जीवन स्तरों पर गंभीर हमलों का सामना कर रहा है.

कोटा में कई संस्थानों के मजदूरों

का सीटू अभिनन्दन करती है जिन्होंने यूनियनों के कार्यों को जनवादी तरीकों से व सीटू की नीतियों के अनुसार चलाने के लिए एक नया नेतृत्व चुना है.

पदच्युत नेतृत्व के समर्थन में और यूनियन चुनावों की वैधता को चुनौती देने में कामरेड पुनमिया की कार्यवाही को वर्किंग कमेटी अस्वीकार करती है. यह उनसे कहती है कि उनके समर्थक चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका अदालत से वापस लें और नवनिर्वाचित नेतृत्व का विरोध करना बन्द करें.

वर्किंग कमेटी कामरेड पुनमिया से यह भी कहती है कि वे अपने आप को ढांढा की गतिविधियों से अलग रखें. यह नोट करती है कि उन्होंने ढांढा की निंदा नहीं की है जो औद्योगिक संस्थानों के शेयर खरीदने के कसूरवार पाए गए हैं.

इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कमेटी समझती है कि पुनमिया राजस्थान सीटू के अध्यक्ष का कार्य जारी नहीं रख सकते. यह उनका इस्तीफा स्वीकार करती है. यह सेक्रेटेरियट से जल्दी ही राज्य कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए कहती है."

महासचिव व राज्य कमेटियों की रिपोर्ट

सभी साथियों ने अध्यक्षीय भाषण व महासचिव की रिपोर्ट में व्यक्त नीति का समर्थन किया. अपने अपने राज्यों में अपने अनुभव भी उन्होंने उल्लेखित किए.

पी० के० कुरणे ने बंबई के कपड़ा मजदूरों के लंबे संघर्ष व सीटू की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. मनोरंजन राय ने घोषणा की कि सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी बंबई के कपड़ा मजदूरों की राहत के लिए १०,००० रुपये का अनुदान देगी. तमिलनाडु राज्य कमेटी की और से आर० उमानाथ तथा केरल राज्य कमेटी की और से के० एन० रविन्द्रनाथ ने घोषणा की कि ये दोनों ही कमेटी पांच पांच हजार रुपये का अनुदान देंगी. जीबन बिहारी राय ने घोषणा की कि स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया राहत कार्य के लिए २,००० रुपये देगी.

कोष का हिसाब किताब

टी० एन० नंबिराजन ने कोष का हिसाब-किताब पेश किया और सुझाव दिया कि एक प्रविष्टि हिसाब-किताब प्रणाली को बदल कर द्विप्रविष्टि प्रणाली कर दिया जाना चाहिए. हिसाब-किताब से संगठन की सदस्यता प्रदर्शित होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब सालाना ब्यौरा (एनुअल रिटर्न) सही समय पर भेजा जाए. बैठक ने खर्च को स्वीकार कर लिया और आश्वासन दिया कि ब्यौरे के मुताबिक जहां तक संभव हो सका कदम उठाए जाएंगे.

बी० टी० आर० द्वारा समापन

बी० टी० रणदिवे ने फैसलों व बहस का समापन किया. उन्होंने कहा कि इस बार सीटू की विभिन्न राज्य कमेटियों व फेडरेशनों से लिखित रिपोर्ट उपलब्ध हुई. सीटू के विस्तार के साथ साथ उद्योग में सामूहिक विचारविमर्श पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और अपने अनुभवों को समूची सीटू सदस्यता की संपत्ति बनाना चाहिए.

उन्होंने सदस्यों का ध्यान मौजूदा स्थिति की गंभीरता की ओर दिलाया. उन्होंने कहा कि पहले कई ट्रेड यूनियन केंद्रों ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हमलों का विरोध करने के लिए एकजुट प्रतिरोध की जरूरत महसूस नहीं की. पिछले अधिवेशन में पेश किए गए चार काले विधेयकों से पता चलता है कि मजदूर वर्ग को इस हमले का सामना करना है. यह स्वाभाविक ही है. इतिहास बताता है कि तानाशाही निजाम की स्थापना की सभी कोशिशें मजदूर वर्ग पर दमन में ही शुरू होती हैं. इतिहास यह

(शेष पृष्ठ १३ पर)

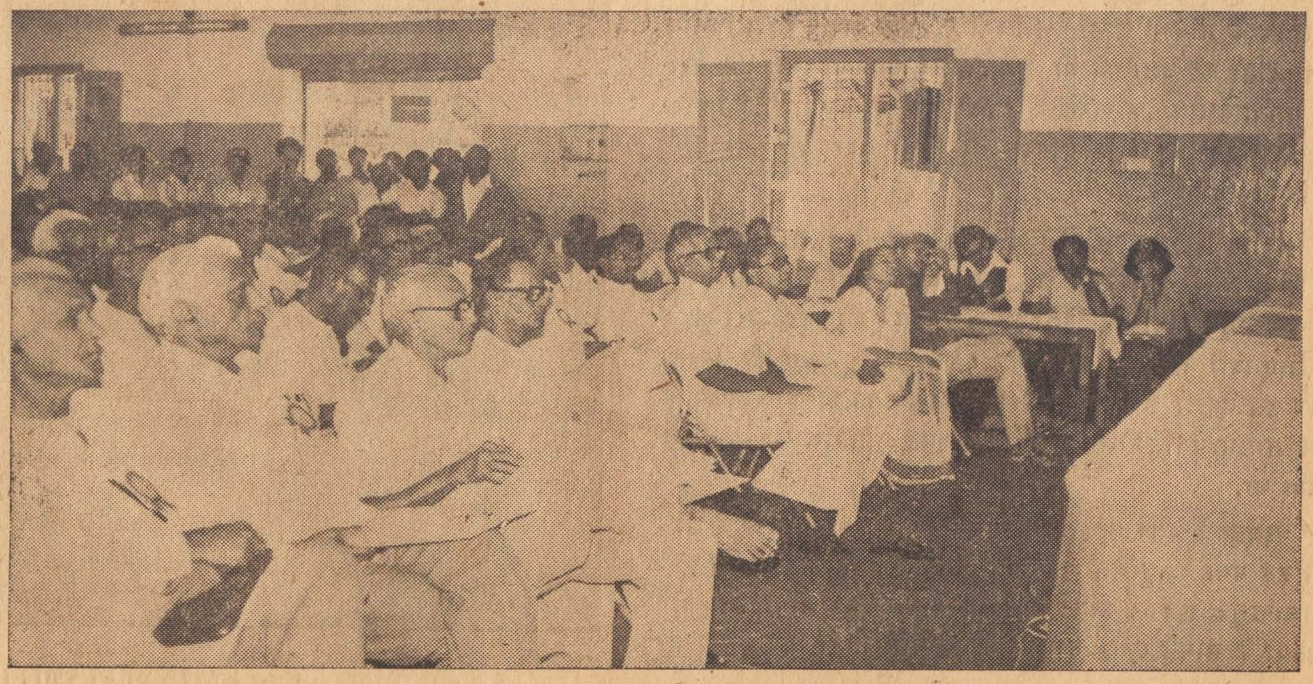

वर्किंग कमेटी की बठक का एक और दृश्य

कामरेड बी टी आर का अध्यक्षीय भाषण

बढ़ते खतरे के खिलाफ व्यापकतम एकता जरूरी

साथियो, जनरल काउंसिल के पिछले अधिवेशन के फौरन बाद ही का० बालसुब्रह्मण्यम के निधन के रूप में हमारे संगठन को भारी क्षति उठानी पड़ी. का० बालसुब्रह्मण्यम हमारे संगठन के प्रमुख नेताओं तथा संस्थापकों में से थे. पिछले कई दशकों में तमिलनाडु में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा हुआ है, उसके निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी.

साथियो, ए बालसुब्रह्मण्यम सीटू की स्थापना के समय से ही इसकी वर्किंग कमेटी के सदस्य थे. वह सी पी आइ (एम) के प्रमुख नेता थे तथा उसके पोलिट ब्यूरो के सदस्य भी थे. उनके निधन से देश के मजदूर आंदोलन को भारी क्षति हुई है.

दिमित्रोव जन्मशती

इस साल दुनिया भर में मजदूर वर्ग के वर्ग चेतन हिस्सों ने महान योद्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के नेता और लेनिन द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के महासचिव ज्योर्जी दिमित्रोव की जन्मशती मनायी. मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद के प्रति वफादार बल्गारिया का यह छापाखाना मजदूर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के पद पर जा पहुंचा. यह वही दौर था जब फासीवाद दुनिया भर के लिए खतरा बन चुका था और विश्व युद्ध छेड़ने पर आमादा था. स्टालिन के दिशा निर्देशन में, जिसके नाम से हर रंगत के सुधारवादी दहल जाते हैं, उन्होंने कामयाबी के साथ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को, युद्ध तथा फासीवाद के विरुद्ध प्रतिरोध को एकजुट करने की दिशा दी. इससे पहले नाजी अदालत में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें भारी ख्याति मिल चुकी थी. मौत की सजा के खतरे के साये में उन्होंने नाजियों के झूठे प्रचार से साम्यवाद के सिद्धांतों की रक्षा की थी. उन्होंने कह दिया था कि जाति तौर पर अपना बचाव पेश करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, और कि वह कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म की विचारधारा की रक्षा करने के लिए खड़ हुए हैं.

दिमित्रोव ने अपने पीछे जो परंपरा छोड़ी है, वह हम लोगों के लिए, जिन्हें तानाशाही के खतरे का मुकाबला करना पड़ रहा है, एक अमूल्य निधि है. इसी तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए दिमित्रोव ने ट्रेड यूनियन एकता, मजदूर वर्ग की एकता और इस एकता के गिर्द फासीवाद के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए तमाम प्रगतिशील ताकतों के संयुक्त प्रतिरोध का आह्वान किया था.

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद की इस थाती का महत्व आज और भी बढ़ गया है. घृणित अमरीकी साम्राज्यवाद सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध छेड़कर मानव जाति की तबाही पर आमादा है और दुनिया के सामने एक नाभिकीय युद्ध का खतरा पैदा कर रहा है.

अमरीका द्वारा नाभिकीय युद्ध की तैयारियां

युद्ध की तैयारी के लिए अमरीका साम्राज्यवादी आम जन-संहार के हथियारों के उत्पादन पर अरबों डालर खर्च कर रहे हैं. अब उनकी कोशिश इन हथियारों को अंतरिक्ष में जमाने की है ताकि यह नरभक्षी ताकत अपनी इच्छाओं का विरोध करने वाले किसी भी देश पर मौत और तबाही का कहर बरसा सके.

आज अगर लाखों लोगों की बलि लेने वाले नाभिकीय युद्ध का खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है तो इसकी वजह सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर आमादा अमरीकी साम्राज्यवादियों की अपराधपूर्ण नीतियों और दुनिया भर पर प्रभुत्व कायम करने की इनकी कोशिश में ही है.

साथियो, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद, खुद अपने देश की जनता तथा दुनिया भर की जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का तकाजा है कि भारत का समूचा मजदूर वर्ग, समूचा ट्रेड यूनियन आंदोलन युद्धोन्मादियों को बेनकाब करने तथा उन्हें अलग-थलग डालने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे और नाभिकीय युद्ध

अध्यक्षीय भाषण देते हुए कामरेड बी टी रणदिवे

के खतरे को रोकने के लिए दुनिया भर के मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता की आवाज में अपनी आवाज मिलाये. यूरोप में तथा अमरीका में भी जबर्दस्त "शांति मार्च" हुए हैं और मजदूर वर्ग के व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिन्होंने साम्राज्यवादियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

सोवियत संघ के प्रस्ताव

हथियारों की दौड़ को रोकने के तथा धीरे-धीरे नाभिकीय हथियारों का उत्पादन खत्म करने के लिए सोवियत संघ ने ठोस प्रस्ताव रखे हैं जिनसे शांति की शक्तियों को, युद्धविरोधी शक्तियों को बहुत ताकत मिली है. सोवियत संघ ने इकतरफा तौर पर यह घोषणा भी की है कि वह नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा. सोवियत संघ की इस घोषणा का दुनिया भर के मजदूर वर्ग और तमाम शांतिकामी शक्तियों ने स्वागत किया है. लेकिन रीगन इस पहल के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है.

भारत की ट्रेड यूनियनें और युद्धविरोधी संघर्ष

साथियो, इस विराट संघर्ष में, जनसंहार की मुहिम को रोकने के इस संघर्ष में भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्या भूमिका रही है ? हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, जो विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव में है, इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में कोई खास भूमिका अदा नहीं कर रहा है और इस तरह सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद के झंडे के मान को घटा रहा है. यह सही है कि इस मई दिवस पर देश भर में सीटू यूनियनों ने युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठायी थी और युद्ध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योग दिया था. मई दिवस पर एटक तथा संभवतः कुछ दूसरे संगठन से संबद्ध यूनियनों ने भी युद्ध के विरोध में आवाज उठायी थी. लेकिन बाकी तमाम मजदूर, ट्रेड यूनियन आंदोलन के दूसरे सभी हिस्से, इस खतरे के प्रति अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति अंधेरे में ही रहे. अंतर्राष्ट्रवाद को छोड़ने और सिर्फ मांगों पर ही ध्यान देने का संकीर्ण नजरिया सर्वहारा चेतना को विघटित करता है.

साथियो, इसके अलावा यह भी गौर करने की बात है कि मई दिवस पर सीटू तथा एटक भी अपनी कतारों को साथ-साथ नहीं खड़ा कर सके क्योंकि एटक के नेता अमरीका और चीन को एक ही पलड़े में रखना चाहते थे.

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और युद्धविरोधी संघर्ष की दिशा में ले जाने के लिए संघर्ष करें.

हमें इस सघर्ष की अगली पांतों के रूप में काम करना होगा और आनेवाले महीनों में युद्ध के खिलाफ मजदूर वर्ग के प्रतिरोधी को सक्रिय करना होगा. वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस ने १ सितंबर का दिन "युद्धविरोधी दिवस" के रूप में मनाने का आह्वान किया है. हमें इस आह्वान का जबर्दस्त स्वागत करना चाहिए. सीटू और उसकी यूनियनें इस युद्धविरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए ट्रेड यूनियनों के व्यापकतम हिस्सों को हरकत में लाने के लिए हर जगह पहल करें. हमें उन सब लोगों के साथ एकजुट होने के लिए तैयार रहना चाहिये जो अमरीकी साम्राज्यवाद को युद्ध की जड़ मानते हैं और जो किसी समाजवादी देश के विरोधी नहीं हैं तथा जो "दो महाशक्तियों" की बकवास नहीं करते हैं.

इस्राइली हमला

साथियो, समूची प्रगतिकामी दुनिया, समूचे मजदूर आंदोलन, सभी समाजवादी देशों की सरकारों और गुटनिरपेक्ष देशों की सरकारों ने अमरीका के इशारे पर लेबनान पर इस्राइल के हमले की भर्त्सना की है. पी एल ओ और उसके बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध को खत्म करने की कोशिश में यह हमला बर्बर अत्याचारों और नरसंहारों की मुहिम बन गया है. सीटू इस हमले की भर्त्सना करती है और अमरीका की इस धोखाधड़ी तथा दुरंगी नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है. सीटू, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के शौर्यपूर्ण प्रतिरोध की सराहना करती है. जगह-जगह पर सीटू यूनियनों ने पी एल ओ के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है और अमरीका समर्थित हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है. फिर भी, यह सही है कि इस संघर्षशील जनता को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करने को रहता है. सीटू यूनियनों को इस्राइल तथा रीगन प्रशासन को बेनकाब करने और पी एल ओ को समर्थन देने के लिए मजदूर वर्ग को एकजुट करना जारी रखना होगा.

साथियो, यह आश्चर्य की बात है अमरीका द्वारा निर्देशित इस हमले की सूरत में भी भारत की प्रधानमंत्री सीधे-सीधे अमरीकी साम्राज्यवादियों की भर्त्सना करने के लिए तैयार नहीं थीं. लेबनानी तथा फिलिस्तीनी जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने और इस्राइली सरकार की भर्त्सना करने में ही उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री मानली.

इस्राइल के इस हमले से ऐसे अनेक मुस्लिम शासकों का विश्वासघाती चेहरा भी साफ हो गया है, जो इस्लाम के रक्षक बने फिरते हैं.

खुले तौर पर फिलिस्तीनी जनता के साथ विश्वासघात करने के कारण इस्लामी तत्ववाद की वकालत करनेवाले आज पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं. इस्लामी तत्ववाद हर देश में जनवादी तथा क्रांतिकारी ताकतों के आंदोलन को विभाजित करनेवाले, और इस तरह उन देशों में प्रतिक्रियावादी वर्गों के शासन को स्थिर करने वाले प्रतिक्रियावादी हथियार के तौर पर सामने आया है. इस्लामी तत्ववाद अमरीका के मोहरों के तौर पर काम करनेवाले निजामों को स्थिर करने के लिए साम्राज्यवादी मोहर के तौर पर काम कर रहा है.

इस्राइली मजदूर अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का झंडा बुलंद कर रहे हैं

इन सरकारों के प्रतिक्रियावादी रुख के ठीक विपरीत है इस्राइली मजदूर वर्ग का गौरवपूर्ण रुख, जिसने खुले तौर पर इस्राइली हमले की भर्त्सना की है और फिलिस्तीनी जनता के लिए न्याय तथा स्वाधीनता की मांग की है. इस्राइली मजदूर वर्ग

तथा वहां की प्रगतिकामी शक्तियों ने भारी कठिनाई के बावजूद हिम्मत दिखायी है. उन्होंने अपनी सरकार की भर्त्सना की है तथा लेबनान से फौजें वापस बुलाये जाने की मांग की है. इन ताकतों ने अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद बिरादराना रिश्ते को पहचाना है.

इन प्रतिक्रियावादी निजामों के विश्वासघात के चलते फिलिस्तीनी की मुक्ति की लड़ाई आज और भी कठिन दौर में है. लेकिन आजादी का दीपक एक बार जलने के बाद बुझ नहीं सकता. वियतनामी जनता की महान लड़ाई के बाद फिलिस्तीनी जनता ही है जिसने आजादी के लिए इतना शानदार प्रतिरोध किया है और इतनी कुर्बानियां दी है. इस बहादुर जनता को देने को हमारे पास है ही क्या ? हम तो बस पाब्लो नेरूदा के शब्दों में उनसे यही कह सकते हैं :

"और न अत्याचार की हजार-हजार शक्तियों का निर्जीव पंजा, घोंट सकता है उस नये दिन की तुम्हारी जीवंत आशा का गला, जिसके लिए हम दुनिया भर के इतने सारे लोग आकुल हैं, दर्द का वह अंतिम दिन, दुर्द्धर्ष लड़ाई में जीत का, न्याय का दिन."

बढ़ता बिखराव

साथियों, पिछले साल भर में जनता के जनवादी अधिकारों के खिलाफ तानाशाही की मुहिम और तेज हुई है. राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जिसने संसद में खुले आम हिलटर की तारीफ की थी. यह जनतांत्रिक प्रणाली और जनवादी अधिकारों के लिए शुभ संकेत नहीं है.

हाल के चुनावों में वामपंथी ताकतों ने, जिनका सीटू अच्छा-खासा हिस्सा बनाती है, पश्चिम बंगाल और केरल में तानाशाही पार्टी को धूल चटाई है. लेकिन दूसरी जगहों पर इसके लिए जरूरी एकता का अभाव रहा. हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन को तानाशाही पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए व्यापक प्रतिरोध के निर्माण की हर कोशिश को अपना समर्थन देना होगा.

इसके साथ ही मजदूर वर्ग को यह ध्यान रखना होगा कि पूरी की पूरी पूंजीवादी सामती व्यवस्था का ढांचा बैठ रहा है. इन्दिरा कांग्रेस शासित राज्यों में कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है. शासक पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार, समाज-विरोधी तत्वों के साथ उसके नेताओं के गठजोड़ आदि में शासक पार्टी के बढ़ते हुए पतन को देखा जा सकता है. डकैतों के सामने शासक पार्टी ने घुटने टेक दिये हैं और पुलिसवाले देहाती औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं. यह है कानून और व्यवस्था की तस्वीर. संसदीय मूल्यों में आई गिरावट में भी इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है. हरियाणा के राज्यपाल ने चोर दरवाजे से शासक पार्टी को सत्ता में बैठा दिया. दूसरी ओर उसी पार्टी के विधायक प० बंगाल में अपनी ही पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल को "चोर" बताते हैं. विधान सभाओं और संसद में कायदे-कानूनों का उल्लंघन आये दिन की चीज हो चली है बिहार में पूरे के पूरे विपक्ष को ही विधान सभा से निकाल बाहर किया गया. शासक पार्टी संविधान की रक्षा करने में असमर्थ है. शासक पार्टी जनता की एकता और देश की अखंडता को बचाने में असमर्थ है. शासक पार्टी असम के पृथकतावादी आंदोलन पर काबू पाने में नाकाम रही है. यह पंजाब में प्रतिक्रियावादी ताकतों की हरकतों को रोक पाने में नाकाम रही है. शासक पार्टी असम की घटनाओं में अमरीकी साम्राज्यवादियों की भूमिका का परदाफाश करने में डरती है और विदेशी मिशीनों तथा इस्लामी तत्ववादियों के जरिए साम्राज्यवादियों द्वारा चलाई जा रही विखंडन की मुहिम का भी परराफाश नहीं करती. इस सरकार की निगहबानी में देश के टुकड़े-टुकड़े होने की प्रक्रिया चल रही है. किसान जनता के समर्थन से और तमाम वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों को एकजुट करते हुए शक्तिशाली मजदूर आंदोलन को एक विकल्प के रूप में सामने आना होगा इसके बिना देश के विखंडन को नहीं रोका जा सकता और न जनता की बुनियादी समस्याओं को हल किया जा सकता है. तानाशाह पार्टी के खिलाफ व्यापकतम संभव प्रतिरोध गठित करने के साथ-साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन को समाज के बुनियादी जनवादी रूपांतरण के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा जो समाजवाद की राह तैयार करेगा.

वेतनजाम

जनता के खिलाफ तानाशाही के इस अभियान को सबसे पहले तो मजदूर वर्ग की स्वाधीनताओं और उसके अधिकारों के खिलाफ हमले के अभियान में ही देखा जा सकता है. एस्मा की तरह ही ट्रेड यूनियन आंदोलन के दमन के लिए तीन नए विधयक आ चुके हैं. इससे पहले से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ट्रेड यूनियन संघर्षों के खिलाफ आतंक का बाजार गर्म था.

इस मुहिम के पीछे मजदूरों के मौजूदा जीवन स्तर पर हमला करने, उनकी मजदूरी का हिस्सा घटाने और संकट का बोझ उनके सर पर डाल देने की एक सोची-समझी साजिश है. सरकार जोर-शोर से यह प्रचार कर रही है कि संगठित उद्योग के क्षेत्र में मजदूरी का स्तर बहुत ऊंचा है.

इस पृष्ठभूमि में सरकार ने मजदूर वर्ग की मजदूरी पर अपना हमला शुरू किया है. सरकार ने मजदूरी में बढ़ोतरी पर रोक लगानी शुरू कर दी है. मजदूरी में १० फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी को गैर कानूनी घोषित करके सरकार ने मजदूरी पर जैसे दफा १४४ लगा दी है.

सार्वजनिक प्रतिष्ठान ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के मैनेजमेंट को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि निजी क्षेत्र भी इन निर्देशों की लागू करने में पीछे नहीं रहेगा. ये निर्देश हैं :

१. उत्पादकता के वर्तमान स्तर पर मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायगी. भविष्य में मजदूरी में जो भी बढ़ोतरी होगी, उत्पादकता में आनुपातिक बढ़ोतरी के साथ जोड़कर ही होगी.

२. भविष्य में होनेवाले वेतन समझौतों में पिछली तारीखों से समझौते को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी इसलिए सभी समझौते, समझौते की तारीख से लागू होंगे.

३. कोई भी समझौता चार साल तक प्रभावी रहेगा.

४. किसी भी समझौते में मजदूरी के हिस्से में १० फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी जा सकती और इसमें अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं.

५. महंगाई भत्ते की दर १ रु० ३० पैसे पाइंट से ज्यादा नहीं होगी.

यह तो करीब-करीब लाठीचार्ज ही है. इसका मतलब यह है कि आने-वाले चार सालों तक के लिए अच्छे से अच्छे समझौते में मजदूरों को अपनी वर्तमान मजदूरी पर ज्यादा से ज्यादा १० फीसदी की बढ़ोतरी ही मिल सकती है और यह बढ़ोतरी भी तभी होगी जबकि उत्पादकता में भी उसी अनुपात से बढ़ोतरी हो. जरूरियात की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वास्तविक मजदूरी कितनी ही क्यों न घट जाय. १ रु० ३० पैसे प्रति पाइंट के हिसाब से महंगाई भत्ते के अलावा मजदूरों को कुछ मिलनेवाला नहीं है.

इसके अलावा समझौते को पिछली तारीखों से लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है. यह व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि मौजूदा समझौते को अनिश्चित रूप से खींचकर मजदूरों के साथ धोखा-धड़ी की जा सके. मैनेजमेंट को अब इतना भर करना होगा कि वह नया समझौता करने से इनकार करता रहे जिससे पिछला समझौता प्रभावी बना रहेगा. उसकी इस तिकड़म के चलते मजदूरों को जो नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है. ट्रेड यूनियनें अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरह बातचीत तथा विवादों को बरस तक लटकाये रखा जा सकता है. पिछली तारीखों से समझौता लागु करने की व्यवस्था इसके खिलाफ एकमात्रगारंटी थी अब उसे भी खत्म किया जा रहा है.

ट्रेड यूनियन आंदोलन मजदूरी में बढ़ोतरी को उत्पादकता से जोड़ने की इस कोशिश की भर्त्सना करता है. इससे सरकार की वेतन तथा आय नीति का जिसका बहुत ढोल पीटा जा रहा था, असली चेहरा सामने आ गया है. अब यह साफ हो गया है कि सरकार की नीति वास्तव में मजदूरी में कटौती करने और मालिकान के मुनाफे बढ़ाने की ही नीति है.

इस सब का मतलब यही है कि उत्पादकता बढ़ जाने के बावजूद मजदूरों की वास्तविक मजदूरी गिरती ही जायगी.

उत्पादन का लाभ किसे ?

इससे पहले भी मजदूरों की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन उससे सिर्फ मालिकान को ही फायदा हुआ है. मजदूरों ने इस प्रक्रिया में खोया है, पाया कुछ भी नहीं. उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी के बावजूद पूंजीवादी समाज का अनिवार्य नियम मजदूरों को मजदूरी की न्यूनतम संभव मजदूरी के स्तर पर पहुंचा देता है. भारत का अनुभव भी इससे अलग नहीं है.

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार १९५४ से ६४ के बीच प्रति मजदूर उत्पादकता में ६६ फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन मजदूरों की वास्तविक मजदूरी या तो जहां की तहां रही या उसमें गिरावट ही आयी. इसी दौर में अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही थीं. इस प्रकार उत्पादकता के बढ़ने का सारा का सारा लाभ मालिकान की जेबों में ही चला गया.

सरकार ने हाल ही में संसद में यह स्वीकार किया कि १९६० व १९७० के दौरान भारत में उत्पादकता २८ प्रतिशत बढ़ी जबकि इसी दौरान वास्तविक वेतनों में कमी आई. यह भी याद रहे कि मजदूरों कों बढ़ी उत्पादकता के कारण अनेक उद्योगों में रोजगार कम हुए हैं. चाए, जूट, सूती कपड़ा व इंजीनियरिंग उद्योगों के आंकड़े यह बताते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि के बाद इनमें रोजगार कम हुआ है.

प्रधानमंत्री ने एकतरफा तरीके से उत्पादकता वर्ष की जो घोषणा की है, उसका यही अर्थ है. उत्पादकता वर्ष का मतलब है पूंजीपतियों के फायदे के लिए, जोरजबर्दस्ती करके मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम निकालना. यही नहीं, यह सस्ते श्रम के जरिये बहुराष्ट्रीय कपनियों तथा अन्य विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए आकर्षित करने के सरकार के अभियान का ही हिस्सा है. इस तरह सरकार आई एम एफ से अपने वादे को पूरा कर रही है.

अधिकांश ट्रेड यूनियन केंद्रों की हिस्सेदारी की परवाह किये बगैर श्रममंत्री ने किस तरह एक उत्पादकता सम्मेलन का आयोजन किया, उससे साफ हो जाता है कि सरकार मजदूरों की सहमति से नही, बल्कि डंडे के जोर से ज्यादा काम निकालना चाहती है.

एक इंटक को छोड़ बाकी सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्रों ने १५ जून की बैठक का बहिष्कार किया था. इसके बावजूद श्रममंत्री महोदय उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं. मालिकान और इंटक से उन्हें सहयोग का आश्वासन मिला हैं. उनके लिए बस इतना ही काफी है. इस सरकार से इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है.

विचारधारात्मक प्रचार

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्पादकता बढ़ाने का यह आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील तथा मैनेज मैंट में मजदूरों की हिस्सेदारी की यह दुहाई ट्रेड यूनियनों तथा मजदूरों को समाज के बाकी हिस्सों से अलग-थलग करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विचारधारात्मक प्रचार की ही हिस्सा है. यह प्रचार अभियान ठीक उस समय तेज किया जा रहा है जब मजदूरों को अपनी मांगों के लिए लड़ना पड़ रहा है और इस लड़ाई के लिए जन समर्थन उनकी बड़ी जरूरत है. घाटे की अर्थव्ययस्था के जरिये मुद्रास्फीति की बाढ़ ला देने के बाद सरकार अब यह झूठा प्रचार कर री है कि बस अगर मजदूर ज्यादा काम करने लग जाएं तो कीमतें नीचे आ जाएंगी और समाज संकट से राहत पा जाएगा. क्या सरकार यह बता सकती है कि इस साल चीनी के रिकर्ड उत्पादन के बावजूद चीनी की कीमतों में कोई गिरावट क्यों नहीं आई.

ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस प्रचार का जवाब देना होगा और जनता को अपने पक्ष में करना होगा. ट्रेड यूनियन आंदोलन और मजदूर वर्ग ने उत्पादन का चक्का चलते रखने और समाज की जरूरतों को पूरी करने की अपनी जिम्मेदारी से इंकार कभी नहीं किया. उन्होंने बार-बार यह घोषणा की है कि बराबरी के दर्जे से वे संयुक्त हिस्सेदारी में शामिल होने के लिए तैयार हैं.

लेकिन इस बराबरी का मतलब यह है कि मजदूरों के प्रतिनिधियों को संबद्ध संस्थान के आय-व्यय के लेखे, उसकी वित्तीय स्थिति, कच्चे माल की सप्लाई तथा क्वालिटी आदि की जांच करने का पूरा पूरा अधिकार हो और प्रतिष्ठान में उत्पादन तथा अनुशासन के संबंधित तमाम फैसलों के मामले में बात-चीत के अधिकार हों. ट्रेड यूनियनें उत्पादन तथा भुगतान के नियम-कायदों पर विचार करने के लिए और आपसी सहमती पर आधारित वेतन समझौतों के लिए सहमति पर आधारित उत्पादन के नियम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं.

लेकिन हमारा अनुभव क्या बताता है ? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के मैनेजमेंट फैक्टरियों को चलाने तथा उत्पादकता की समस्याओं से निपटने में मजदूरों की किसी भी तरह की जायज हिस्सेदारी के खिलाफ तो हैं ही साथ ही मजदूरों द्वारा अफसरों के भ्रष्टाचार या घटिया किस्म के कच्चे माल के मामलों का पर-दाफाश किये जाने पर मजदूरों को विक्टिमाइज भी करते हैं. इन हालात में उत्पादन बढ़ाने के अभियान का एक ही मतलब होता है, मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करो और मालिकान के मुनाफे बढ़ाओ. समाज की सेवा करने से मजदूरों को इनकार नहीं है, लेकिन सरकार और मालिकान तो उनसे पूंजीपतियों के हितों की सेवा कराना चाहते हैं.

हड़तालें और तालाबंदियां

हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग के बाद यह जो एक साल का अरसा गुजरा है, इसमें ट्रेड यूनियनों तक मालिकान और सरकार के बीच मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर जबर्दस्त टक्करें हुई हैं. १९८१ तक आते-आते इंदिरा सरकार का प्रभाव टूटने लगा था और मजदूर वर्ग के हड़ताल संघर्षों का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा था.

१९८१ में बर्बाद हुए काम के दिनों की संख्या ढाई करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जोकि १९८० से ४० लाख ज्यादा थी, हालांकि वह संख्या १९७९ के साढ़े तीन करोड़ दिनों की तुलना में अब भी कम थी. सार्वजनिक क्षेत्र में बर्बाद हुए काम के दिनों की संख्या करीब दुगनी हो गयी थी. सरकारी रिपोर्टों तक में स्वीकार किया गया है कि इन संघर्षों में सीटू सबसे आगे थी और किसी भी दूसरे संगठन की तुलना में उसने कहीं ज्यादा संघर्ष चलाये हैं.

१९८१ के आखरी और १९८२ के पहले छः महीनों में पिछले अरसे की सबसे लंबी और जबर्दस्त लड़ाइयां लड़ी गयी हैं.

इन लंबी लड़ाइयों में बंबई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल सबसे आगे है जिसे चलते हुए छः महीने पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा राज्य सरकार कर्मचारियों, बिजली कर्मचारियों (उ० प्र० तथा राजस्थान), बंबई के हिंदुस्तान फेरेडो के मजदूरों की हड़ताल तथा दूसरी कई लंबी हड़तालें हुई हैं.

हड़तालों और अधिकृत तालाबंदियों में काम के दिनों की बर्बादी के आंकड़े निश्चय ही आंखें खोलने वाले हैं:

बर्बाद हुए काम के दिन (सैकड़ें में)

वर्ष	हड़ताल में काम के दिनों की क्षति	तालाबंदियों से काम के दिनों की क्षति
१९७८	१५,४२३	१२,९१७
१९७९	३५,८०४	८,०५०
१९८०	१२,०१८	९,९०७
१९८१	१५,६५८	१०,८०६

एक १९७९ को छोड़ कर कुल बर्बाद हुए काम के दिनों में तालाबंदियों का हिस्सा कम से कम ४० फीसदी है. लेकिन सरकार और उसके प्रवक्ता आमतौर पर हड़- तालों से हुए नुकसान का ही शोर मचाते हैं. पिछले तीन सालों में तालाबंदियों में हुए काम के दिनों के नुकसान का प्रतिशत बढ़ता ही गया है.

ट्रेड यूनियनों को तालाबंदियों के इस हमले का मुकाबला करने के लिए नये तरीके निकालने पड़ेंगे. प० बंगाल में १७ जूट मिलें बन्द पड़ी हुई हैं. अनुमान है कि मालिकान की अनेक तिकड़मों के चलते ६५००० बदली मजदूर बेरोजगार हो गये हैं.

दूसरे संगठनों से सलाह-मशविरा करके हमें इस हमले का मुकाबला करने के लिए उचित तरीके निकालने होंगे.

बदली मजदूर

दर्जनों कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यवस्थाओं के अनुमोदन के सारे शेखी भरे दावों के बावजूद फैक्टरियों तथा दूसरी संस्थाओं में लाखों लोग अस्थायी मजदूरों या बदली मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं और इन मजदूरों को न कोई अधिकार है और न ही उनके लिए कोई सेवा सुरक्षा व्यवस्था.

बंबई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल की एक वजह बदली मजदूरों की समस्या भी है. कपड़ा मिलों में काम करने वाले हजारों नौजवान मजदूरों को किसी तरह की सेवा सुरक्षा प्राप्त नहीं है इस हड़ताल आयोजन में इन मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

सीटू को इस समस्या पर सबसे पहले ध्यान देना होगा क्योंकि इससे हजारों ऐसे मजदूर प्रभावित हो रहे हैं जो श्रम के बाजार में अभी आये ही आये हैं.

इसका इस्तेमाल करके मालिकान अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, मजदूरी में कटौती करते हैं और अस्थाई मजदूरों की मेहनत से भारी मुनाफा बटोरते हैं. यह हमारे जैसे देश में ही हो सकता है एक ऐसे देश में जो पहले गुलाम रहा हो और जिसने पूर्व पूंजीवादी व्यवस्थाओं के अवशेषों को सुरक्षित रखते हुए विकास का पूंजीवादी रास्ता पकड़ा हो.

आई एल ओ की व्यवस्थाओं का उल्लंघन

भारत सरकार एक-एक कर आई एल ओ की सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती रही है.बाहर की दुनिया से प्रगतिशीलता का सर्टिफिकेट पाने के लिए सरकार इन व्यस्थाओं पर दस्तखत तो कर देती है, लेकिन उनका उल्लंघन करने में उसे जरा सी हिचक नही होती. सरकार संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर हमले करती है सरकार खुद ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों को विक्टिमाइज करके या निजी मालिकान को ऐसा करने की इजाजत

देकर नाजायज तौर तरीकों का सहारा लेती है. फिर अचरज क्या कि अभी हाल में श्रम मंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा आई एल ओ की व्यवस्थाओं को ठुकराने की इजाजत मांगी जा रही थी. अपनी इस कोशिश के लिए वह अविकसित देशों की ओट लेने की कोशिश कर रहे थे.

बेरोजगारी

रजिस्टरशुदा बेरोजगारों की तादाद दो करोड़ के आसपास पहुंच रही है. बेकारी की इस फौज में शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी भारी संख्या है. क्या सरकार के पास इस बढ़ती बेकारी को रोकने के लिए कोई नीति है ? नहीं, उल्टे उसकी नीतियों से बेकारी बढ़ती ही जा रही है. लाखों लोगों को बेरोजगार करके सड़कों पर फैंका जा रहा है और दसियों हजार को खाड़ी के देशों में शरण लेने पर मजबूर किया जा रहा है.

इस सरकार के शासन में सैकड़ों प्रतिष्ठान बन्द हुए हैं जिसके कारण दसियों हजार मजदूर बेरोजगार बनाकर सड़कों पर छोड़ दिये गये हैं. उत्पादकता बढ़ाने के उसके अभियान के नतीजे सीधे-सीधे बर्खास्तगियों तथा नयी भरती पर रोक की शक्ल में सामने आ रहे हैं जिससे बेकारी और बढ़ रही है.

यही नहीं प्रतियोगी कीमतों पर सस्ते निर्यात तथा उत्पादन में बढ़ोतरी के इस अभियान में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक कंप्यूटरों तथा इसी तरह की दूसरी मशीनें लगायी जा रही हैं, जिनसे रोजगार के अवसर घट रहे हैं.

मजदूरों का स्वास्थ्य

मौजूदा निजाम में दूसरी चीजों के अलावा एक और चीज चौपट हो रही है. यह है, मजदूरों का स्वास्थ्य. इस सिलसिले में कानूनी व्यवस्थाओं का बराबर उल्लंघन हो रहा है. खदान मजदूरों के रहने की बस्तियों तथा गांवों के सर्वे से पता चलता है कि ये मजदूर कैसी बुरी स्थितियों में रह रहे हैं ये हालात मजदूरों को बीमारियां देते हैं और उनका स्वास्थ्य चौपट करते हैं और इसमें आश्चर्य की भी बात क्या है ? कोयला मजदूर कल्याण कोष में भारी राशी जमा होने के बावजूद मजदूरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी राहत दिये जाने की शायद ही कोई व्यवस्था हो.

ई एस आई स्कीम का बहुत ढोल पीटा गया है, लेकिन यह योजना एक बड़ा घोटाला साबित हुई है इस योजना की उपलब्धियों के लंबे-चौड़े दावे किये गये हैं कि इससे कर्मचारियों की जरूरतें पूरी नहीं होती.

सामाजिक सुरक्षा चतुर्मुखी होनी चाहिए. इसके अंतर्गत (१) चिकित्सा सहायता, (२) बिमारी के दौर में राहत (३) मातृत्व सुविधा, (४) अपंग होने की स्थिति में सुविधा, (५) वृद्धावस्था में सुविधा, (६) मृतकों के आश्रितों के लिए सुविधा (७) काम के दौरान चोट लगने या उसके कारण पैदा होनेवाली बीमारियों के मामले में सुविधा, (८) बेकारी सहायता तथा (९) परिवार के लिए सुविधाएं आदि सब कुछ आना चाहिए.

लेकिन सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही ई एस आई कानून के तहत आता है और वह भी बहुत ही अधुरे ढंग से.

कामगार महिलाएं

साथियो, यह किसी कदर संतोष की बात है कि हमारी कुछ यूनियनें महिला मजदूरों की समस्याओं की ओर ईमानदारी से ध्यान दे रही हैं.

हमारी ट्रेड यूनियनों के दहेजआदि इन प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष को अपना पूरा-पूरा समर्थन देना चाहिए, और उनके खिलाफ होनेवाले सैक्स तथा दूसरे अपराधों के खिलाफ आवाज बुलन्द करनी चाहिये. इसी तरह हमारी यूनियनों की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं की मांगों की रहनुमाई करें और ट्रेड यूनियनों की नीति निर्धारक संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें. हमें यह समझ लेना चाहिए कि मजदूर वर्ग खुद महिलाओं के प्रति सामंती रुख की इस बीमारी से मुक्त नहीं है. हमारे ट्रेड यूनियनों को इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा.

१९ जनवरी की हड़ताल

पिछले साल का हमारा अनुभव, संयुक्त जन कार्रवाइयों के लिए ट्रेड यूनियन एकता की आकांक्षा के नये उभार का अनुभव है जिसके लिए सीटू लगातार कोशिश करती आ रही थी. इस पूरे साल का घटना विकास ट्रेड यूनियन एकता की संभावनाओं और उसकी वर्तमान सीमाओं दोनों को ही दिखाता है.

१९ जनवरी को हड़ताल ने अभूतपूर्व ट्रेड यूनियन एकता का तो प्रदर्शन किया ही, मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत का भी प्रदर्शन किया. इस हड़ताल ने जनता के अन्य तबकों की आम जनवादी कार्रवाई को सामने लाने तथा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष में जनता की एकता को आगे बढ़ाने की एकजुट मजदूर वर्ग की ताकत का भी प्रदर्शन किया.

संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के संयुक्त कार्रवाई के फैसले, इस आह्वान पर लाखों लोगों के कार्रवाई के लिए उतरने के निश्चय के चलते इस आह्वान को विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला और कार्रवाई में किसानों समेत जनता के व्यापक तबकों की शिरकत हुई. कई जगहों पर हड़ताल ने मुकम्मल बन्द की शक्ल अख्तियार कर ली जिसमें दसियों हजार दूकानदारों, होटलवालों, अध्यापकों, छात्रों, वकीलों तथा दूसरे पेशों के लोगों ने शिरकत की.

हड़ताल द्वारा उठायी गयी मांगें महत्वपूर्ण मांगें थीं. ये मांगें मजदूर वर्ग की मांगों को जनवाद की मांगों तथा उत्पीड़ित जनता के सभी तबकों के जीवन स्तर की रक्षा की मांगों के साथ एकजुट करने के अंतर्राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप ही थीं.

मजदूर वर्ग की मांगों को किसानों तथा खेतमजदूरों की फौरी जरूरतों से जोड़कर उन्हें बढ़ती महंगाई की चक्की में पिसती जनता की मांगों के साथ जोड़कर ट्रेंड यूनियनों ने पूंजीपति-भूस्वामी शासन में बर्बादी का सामना कर रहे जनता के तमाम तबकों को एकजुट करने की दिशा में पहलकदमी की है.

इस चेतना को आगे ले जाना होगा. ट्रेड यूनियन के आम जनवादी मांगों के साथ जुड़ जाने की इस प्रक्रिया को, ट्रेड यूनियनों द्वारा किसानों तथा खेतमजदूरों की मांगों की रहनुमाई की

इस प्रक्रिया को, हमें आगे बढ़ाना होगा. इस प्रक्रिया को अगर हम लगातार आगे बढ़ाते रहे तो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन होंगे और तानाशाही के खिलाफ़ संघर्ष में पहलकदमी मजदूर वर्ग के हाथों में आ जाएगी.

इसके साथ ही साथ इस हड़ताल में वर्तमान स्थिति में ट्रेड यूनियन एकता की कमजोरी भी उभरकर सामने आयी है. प्रतिरक्षा संगठनों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठनों तथा रेल कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया. इन संगठनों के सुधारवादी नेता हड़ताल में शामिल होने में हिचकिचाहट दिखाते रहे, हालांकि इनमें से कई ने पहले इस आह्वान का समर्थन किया था और हड़ताल में शामिल होने का फैसला भी किया था. प० बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल में मोटे तौर पर इन तबकों ने भी आम कार्रवाई में हिस्सा लिया.

यह जरूरी है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें तथा फेडरेशनें इन संगठनों के नेताओं से बातचीत चलायें और उनकी नीतियों से ट्रेड यूनियन आंदोलन को होनेवाली क्षति के बारे में उन्हें सचेत करें. इस सबसे पहले जरूरी है कि शेष मजदूर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष के लिए और मजदूरों तथा जनता की आम मांगों पर संयुक्त संघर्ष के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेल तथा प्रतिरक्षा के आम कर्मचारियों की एकता की जोरदार अपील की जाय.

अनेक ट्रेड यूनियन संगठनों का अस्तित्व में होना तथा उनके बीच मतभेदों का होना ट्रेड यूनियन आंदोलन में वर्ग संघर्ष पर आधारित लाइन के लिए, ट्रेड यूनियन एकता की एक जुझारू लाइन के लिए और पूंजीवादी-सामंती शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए अन्य जनवादी शक्तियों के साथ गठबंधन की लाइन के लिए अंदरूनी संघर्ष को ही दिखाता है. सीटू की स्थापना इसी संघर्ष का परिणाम है.

हम देख सकते हैं कि दो परस्पर विरोधी धाराएं हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रभावित करती रही हैं. एक अलगाववादी धारा है जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं और जो सुधारवादी नेताओं द्वारा फैलाये गये भ्रमों से शक्ति ग्रहण करती है. इसके विपरीत दूसरी धारा बढ़ती हुई एकता की धारा है जो मजदूर वर्ग के अनुभव तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की परिपक्वता से शक्ति ग्रहण करती है.

इस एकता की धारा की बढ़ती हुई शक्ति के चलते समझौते की वार्ताओं तथा प्रतिरोध के मौकों पर विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच, और इसमें कभी-कभी इंटक भी आ जाती है, लगातार बढ़ता हुआ सहयोग दिखायी देता है. यह परिवर्तन पिछले बरसों से आ रहा था.

एमर्जेंसी के दौर ने खुले तौर पर मजदूर वर्ग को विभाजित कर दिया था. इंटक तथा एटक के नेतृत्व ने शासक पार्टी की लाइन ली जबकि दूसरी ट्रेड यूनियनों ने मजदूर वर्ग के खिलाफ शासक पार्टी के हमलों का मुकाबला किया. उन्होंने अनिवार्य बचत योजना, हड़ताल पर पाबन्दी तथा दूसरे तमाम मजदूर-विरोधी कदमों को वापस लिये जाने की मांग उठायी.

इसके बाद हालात ने एक बार फिर पलटा खाया और जनता सरकार के औद्योगिक संबन्ध विधेयक का मुकाबला करने के लिए तमाम ट्रेड यूनियन केंद्र एकजुट हो गये. इसके बाद के दौर में इंटक अब फिर शासक पार्टी के समर्थन की अपनी पुरानी नीति पर लौट गयी है. फिर भी, दूसरे तमाम ट्रेड यूनियन के केंद्र तथा फेडरेशनों की एकता बढ़ रही है तथा एकता की और भी तीव्र इच्छा का इजहार हो रहा है. इसके पीछे अनेक कारण हैं. अर्थव्यवस्था के संकट के चलते मेहनतकशों के सारे तबके आज हमलों की जद में हैं. मुद्रास्फीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, लगातार बढ़ती कीमतें आदि ऐसे आम मसले हैं जिनसे मजदूर वर्ग की संयुक्त शक्ति ही निपट सकती है. दूसरे संगठनों के बिना कोई एक या दो संगठन नहीं. रेल तथा अन्य कर्सचारियों के लिए उत्पादकता पर आधारित बोनस की घोषणा करके सरकार मजदूरों की कतारों में फूट डालने और बोनस को रुका हुआ वेतन मानने के उनके दावे को कमजोर करने की ही कोशिश कर रही थी. लेकिन, इस तिकड़म का असर लंबे अर्से तक चलनेवाला नहीं है.

अब सरकार कुछ मामूली रियायतों के बदले तीन साल के लिए हड़तालों तथा मांगों को स्थगित किये जाने की मांग कर रही है.

साथियो, इन तमाम चीजों से पता लगता है कि ट्रेड यूनियन नेतृत्व के एक हिस्से की हिचकिचाहट तथा डांवाडोल स्थति के के बावजूद आर्थिक हालात मजदूर वर्ग तथा उसके संगठनों से यह तकाजा कर रहे हैं कि वे एकजुट हों और अपने खिलाफ होनेवाले हमले का विरोध करें. सीटू इस आर्थिक वास्तविकता के आधार पर काम कर रही है और सुधारवादियों द्वारा खड़ी की गयीं अस्थायी बाधाओं को पार करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही साथ सीटू इस तथ्य पर भी गौर करती है कि एकता के लिए इस संघर्ष की दिशा, आचरण में वर्ग संघर्ष को स्वीकार करने और वर्ग सहयोग की विचारधारा को त्यागने की ही दिशा हो सकती है. एकता के बढ़ते हुए अनुभव तथा वर्तमान हमले का मुकाबला करने के लिए उठाये गये व्यवहारिक कदमों से इस अंदरूनी संघर्ष में मदद मिलती है. सरकार की मजदूरविरोधी नीतियों और संकट का बोझ मजदूरों पर डालने की पूंजीपति वर्ग की कोशिश के चलते आनेवाले दिनों में ट्रेड यूनियन एकता की और भी भारी जरूरत होगी.

साथियो, ट्रेड यूनियन एकता और संयुक्त-संघर्ष की भावना आज सुधारवाद के गढ़ों को ढहा रही है. आप में से कई लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी कि इंटक में सब कुछ "ठीक-ठाक" ही नहीं चल रहा है. उसका एक हिस्सा इस संगठन की नीतियों का विरोध करते हुए इससे अलग हो चुका है और सीटू तथा राष्ट्रीय अभियान समिति के दूसरे सदस्यों के साथ चल रहा है. यह सही है कि इंटक का मौजूदा शीर्षस्थ नेतृत्व अब भी सरकारी नीतियों को वफादारी से समर्थन देने में लगा हुआ है, इस संगठन में अंदरूनी एकता का कहीं सवाल नहीं उठता. नीचे के स्तर पर, सरकारी नीतियों से जबर्दस्त मोहभंग हुआ है और भारी असंतोष व्याप्त है.

मौजूदा हालात में और ज्यादा एकता की जरूरत को देखते हमारी सीटू को, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा फेडरेशनों के महासंघ का अपना आह्वान एक बार फिर दुहराना चाहिए. हमारा आह्वान, एक ऐसे महासंघ के निर्माण का आह्वान है जहां आम सहमति से नीति संबंधी फसले लिये जायें और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने उपस्थित समस्याओं पर लगातार विचार-विमर्श का मंच बने. निरंतर विचार-विमर्श तथा जन कार्रवाई के जरिये ही अपेक्षित एकता कायम की जा सकती है. अब वक्त आ गया है कि सीटू महासंघ के निर्माण के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव रखे और दूसरे संगठनों के नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू करे.

साथियो, आनेवाला दौर हमारे आंदोलन के लिए तूफानी दौर होनेवाला है. आज विश्व पूंजीवादी व्यवस्था गंभीर संकट की चपेट में है और मंहगाई तथा बेकारी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रही है. अमरीका में ही बेकारों की संख्या १ करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है जब कि १९३० में भी बेकारों की संख्या इससे कम ही थी. यूरोप के विकसित पूंजीवादी देशों में भी बेकारों की तादाद दसियों लाख है. बेरोकटोक बढ़ती मुद्रास्फीति के चलते रोजगार से लगे हुए लोगों और बेकारों, सभी की हालत दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है. पश्चिमी दुनिया पर हमारी निर्भरता के चलते हमारे देश में आर्थिक संकट और भी गहरा होता जा रहा है.

सरकार बार-बार दावा करती है कि कोई मंदी नहीं है लेकिन उद्योगों के बंद होने, उद्योगों की बीमारी, बढ़ती बेकारी और सिकुड़ते बाजार से जाहिर है कि हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है इस स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार पश्चिमी देशों और आई एम एफ से कर्ज लिये जा रही है. मंदी के शिकार देशों से आयातों को स्वीकार करके ऊंचे मुनाफों की गारन्टी के साथ उनके पूंजी निवेश को न्यौता देकर हमारा देश इन कर्जों की कीमत अदा कर रहा है. इसका मतलब यही है कि भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वह विदेशी पूंजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण के लिए सस्ती भारतीय श्रम शक्ति मुहैया करे और इसके साथ ही साथ इन देशों से आयात करना स्वीकार करे, भले ही इन आयातों के चलते हमारे अपने उद्योग और उनमें लगे हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी खतरे में ही क्यों न पड़ जाय. हमें उम्मीद है कि हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन संगठनों का नेतृत्व इस साझे खतरे को पहचानेगा ओर फौरन एकता कायम करने के हमारे आह्वान पर आगे आयेगा. □

वर्किंग कमेटी की बैठक

(पृष्ठ ५ से आगे)

भी प्रदर्शित करता है कि जनवादी जनता के समर्थन के साथ मजदूर वर्ग का बृहत्तर एकजुट प्रतिरोध ही ऐसे हमलों को रोक सकता है. इस संबंध में सीटू को ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन बनाने के सवाल को लेना चाहिए जो सहमत फैसलों के आधार पर काम करते हुए इन हमलों के खिलाफ समूचे मजदूर वर्ग को लामबंद करेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते युद्ध के खतरे और सार्वभौमिक प्रभुत्व की अमरीकी साजिशों के खिलाफ सीटू को अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य को नहीं भूलना चाहिए. शांति के लिए संघर्ष में सीटू को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बहादुर योद्धाओं व अन्यों के साथ जो साम्राज्यवादी व जातिभेदी दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं इसे अपनी एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए. इस विषय में उन्होंने एक सितंबर को 'शांति व एकजुटता दिवस' सफलता के साथ आयोजित करने का सदस्यों का आह्वान किया.

आमसभा

२५ जुलाई की शाम को एक आम सभा आयोजित हुई जिसमें भारी तादाद में मजदूरों ने भाग लिया. लगभग ५,००० मजदूरों ने बंगलोर के मार्गों से एक जुलूस निकाला जिसके सबसे आगे ३०० बालंटियर लाल कमीजें पहने चल रहे थे. पुलिस ने सीटू के जुलूस को मुख्य मार्ग से इस तर्क के साथ नहीं गुजरने दिया कि यह यातायात में रुकावट डालेगा. यह भेदभाव पूर्ण कार्य था क्योंकि इससे पहले इस तरह की रोक किसी भी जुलूस पर नहीं लगाई गई थी. बैठक को सी० नंजुनदप्पा, एस० सूर्यनारायण राव, ज्योति बसु व बी०टी० रणदिवे ने संबोधित किया.

मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों व जनता के जनवादी अधिकारों को छीनने के इरादे से किए जाने वाले अधिनायकवादी हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग की फौरी एकता के लिए जोरदार आह्वान के साथ बैठक खत्म हुई.

बैठक के बाद आयोजित जुलूस का एक दृश्य

महासचिव कामरेड पी आर की संक्षिप्त जनरल रिपोर्ट

अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करो

रिपोर्ट में १९ मई को संपन्न पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं के चुनाव तथा लोक सभा की सात सीटों के लिए व कई विधान सभा-सीटों के लिए उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई है. चुनाव परिणामों से यह साफ पता चलता है कि पिछले ढाई सालों में प्रधानमंत्री का प्रभाव काफी कम हुआ है. जनवरी, १९८० में वे 'काम करने वाली सरकार' के नारे पर भारी दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई थीं. लेकिन उनके वायदों व कार्यों में इतना अंतर था कि जनता का उनके नारे के प्रति भ्रम तेजी से दूर हो गया. पश्चिम बंगाल में मेहनतकश जनता व किसानों के बीच वाम-मोर्चे का प्रभाव बढ़ा. इंदिरा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस (एस), मुस्लिम लीग, गोरखा लीग, व मुक्ति मोर्चा तथा उन सबके साथ जिन्होंने पहले जनता पार्टी को वोट दी थी और अब इंदिरा कांग्रेस में आ गए थे, गठबंधन किए जाने के बावजूद वाम-मोर्चा की जीत, जिसमें सी पी आई (एम) का संपूर्ण बहुमत बरकरार रहा, इस बात का सबूत है कि वाम-मोर्चे ने पिछले पांच सालों में मेहनतकश जनता के हितों में काम किया है. केरल में भी यह स्पष्ट हो गया कि जहां पिछले कुछ सालों में सी पी आई (एम) के नेतृत्व में वामपंथी जनवादी ताकतों ने अपनी शक्ति में काफी वृद्धि की वहां मेहनतकश जनता के बीच इंदिरा कांग्रेस और भी अलग-थलग पड़ गई. चुनावी जीत के लिए इसे सांप्रदायिक व जातिवादी ताकतों पर निर्भर करना पड़ा.

बंगलौर में कामरेड पी० राममूर्ति

आई एम एफ कर्ज

पिछले वर्ष संसद के बजट अधिवेशन के तुरंत बाद यह पता चला कि भारत सरकार तत्कालीन वित्त मंत्री श्री आर० वेंकट-रमन व वित्त मंत्रालय के अन्य अफसरान के माध्यम से विश्व-बैंक के एक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (आई एम एफ) के साथ भारी पैमाने पर कर्ज लेने के लिए गुप्त रूप से बातचीत कर रही है. हमारे संगठन ने बार-बार यह बताया कि विश्व बैंक व इसके उपक्रमों की अविकसित देशों में क्या भूमिका रही है. इसने यह भी बताया कि हालांकि ये कर्ज कुछ लचीली शर्तों पर दिए गए लगते होते हैं लेकिन वास्तव में ये कुछ ऐसी शर्तों व परियोजनाओं से जुड़े होते हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ जुड़ा होता है. हमने बार-बार यह बताया कि किस प्रकार ये निगम कीमतें बढ़ाते हैं और असलियत में देश को ऊंची कीमत अदा करनी पड़ती है. हमने फिर यह भी बताया कि बहुराष्ट्रीय निगम किस प्रकार स्वदेशी तकनीकी के विकास में बाधक हैं.

इन वार्ताओं की गोपनीयता इस कदर खत्म हो गई थी कि भारत सरकार सच्चाई से इंकार नहीं कर सकी. वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि ऐसी वार्ताएं जारी थीं लेकिन उन्होंने संसद व देश को यह आश्वासन दिया कि कोई भी ऐसी शर्त जो देश के सम्मान को कम करेगी स्वीकार नहीं की जाएगी. लेकिन वे आई एम एफ द्वारा मांग की गई तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई शर्तों को बताएंगे नहीं.

संपूर्ण आत्मसमर्पण

लेकिन अक्तूबर, १९८१ के मध्य में भारत के एक प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र के वाशिंगटन संवाददाता ने आई एम एफ के चीफ एग्जीक्यूटिव को वित्त मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र तथा उन द्वारा आई एम एफ के लिए तैयार किये गये ज्ञापन, जिसे आई एम एफ की एग्जीक्यूटिव के सदस्यों में गुप्त रूप से वितरित किया जा रहा था, की प्रतिलिपियां प्राप्त कर लीं.

श्री आर० वेंकटरमन ने आई एम एफ को लिखे गये १५ अक्तूबर, १९८१ के अपने पत्र के पैरा-५ में कहा कि:

"भारत सरकार का विश्वास है कि १९८१-८२ में अपनाई जाने वाली नीति जिसे इस पत्र के साथ संलग्न ज्ञापन में विस्तार से बताया गया है, अपने कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी है लेकिन यह इस लक्ष्य के लिए जरूरी पाए जाने वाले और भी कोई कदम उठायेगी. इन जरूरी कदमों को अपनाने के लिये जो हमारे संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार होंगे, सरकार ऐसे परामर्श के लिये कोष की नीतियों के अनुसार कोष (आई एम एफ) से सलाह ले लेगी. खास तौर से कोष के

साथ चल रही वार्ता के एक हिस्से के रूप में, हर वर्ष के लगभग बीच में, कार्यक्रम को लागू करने में की गई प्रगति की सरकार कोष के साथ मिलकर जायजा लेगी. पहले साल के कार्यक्रम के संबंध में धारा iv (परामर्श बहस) के तहत २५ मार्च, १९८२ से पहले इसकी घोषित नीतियों जो कार्यक्रम से संबंधित होंगी के अनुसार उठाये गये सरकारी कदमों पर सरकार कोष के साथ विचार विमर्श करेगी और, खास तौर से संलग्न ज्ञापन के पैरा-१३, १५ व १८ को मध्येनजर रखते हुए **प्रसाधन जुटाने व निर्यात के संबंध में कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोष के साथ कोई भी ऐसी समझ तैयार करेगी जो जरूरी हो.** (जोर हमारा)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्बाध लूट

हमारे संगठन ने पहले भी यह बताया है कि भारत के लिए विश्व बैंक की आर्थिक नीति यह है कि इसकी अर्थव्यवस्था निर्यात के पक्ष में होनी चाहिए, कि सारे नियंत्रण हटा लिए जाएं, कि आयात पर सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएं, कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाएं, कि फेरा व एम आर टी पी कानूनों को रद्द कर दिया जाए, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय सेवाओं को सीधे-सीधे या भारतीय इजारेदारों के साथ सहयोग के साथ प्रविष्टि होगी.

इंदिरा सरकार ने १९८१ के लिए नए औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इन शर्तों को पूरा करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं. यह विश्व बैंक व इससे संबद्ध संस्थानों और खास तौर से बहुराष्ट्रीय निगमों को खुश करने का कदम था. सरकार ने निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया और इस लक्ष्य के लिए आयात के लिए छूटें दी जा रही हैं बहुराष्ट्रीय निगमों तथाभारतीय इजारेदारों को सुविधाएं दी जा रही हैं. इस पर अब जोर नहीं दिया गया कि बहुराष्ट्रीय निगम अपनी पूंजी ४० प्रतिशत से कम करें. यह घोषणा की गई कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन के ५० प्रतिशत का निर्यात करेंगी उन कंपनियों को ७५ प्रतिशत पूंजी निवेश की इजाजत होगी और जो अपने उत्पादन के ९० प्रतिशत का निर्यात करने को सहमत होंगी उनका पूंजी निवेश १०० प्रतिशत हो सकता है.

बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारतीय इजारेदारों, दोनों ही, को उन उद्योगों में भी आने की इजाजत दे दी गई जिनमें वे अब तक अपनी पूंजी नहीं लगा सकते थे. तुरंत ही उनकी अतिरिक्त क्षमता, यानि वह क्षमता जो उन्होंने कानून व उन्हें दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों का उल्लंघन करके लगाई थी, कानूनी घोषित कर दी गई, और पांच सालों में उन्हें स्वतः प्रसार अंतराल की भी इजाजत दे दी गई. जटिल तकनीकी के नाम पर अनेक उद्योगों में घुसने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को छूट दे दी गई. इस बहाने से उन्हें ज्यादा पूंजी निवेश की छूट मिल गई. इसी तरह की सुविधाएं भारतीय इजारेदार घरानों को दी गईं. अब यह साफ जाहिर है कि नए औद्योगिक नीति प्रस्ताव सहित ये सब कदम विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कहने पर उठाए गये हैं. बाद इंदिरा कांग्रेस की सरकार ने उन नीतियों को संसद में पेश किया ताकि उन पर राष्ट्रीय नीतियों के रूप में संसद की मोहर लग जाए.

आई एम एफ के आदेश स्वीकृत

इस तथ्य पर जोर देना जरूरी है कि प्रसाधन जुटाने के सवाल और कोष द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे ही अन्य नीति मुद्दों पर आई एम एफ के साथ परामर्श करने के लिए श्री वेंकटरमन ने भारत सरकार को वचनबद्ध कर दिया है.

इस पर भी जोर दिया जाना चाहिये कि 'राष्ट्रीय नीतियों आदि की सब बातों के बावजूद श्री वेंकटरमन ने भारत सरकार को न केवल बातचीत के लिए बल्कि उन नीतियों व मुद्दों पर भी कोष के साथ एक समझ बनाने के लिए वचनबद्ध किया है जो प्रसाधन जुटाने व खास तौर से निर्यात से संबंधित होंगे.

इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है कि भारत व कोष के बीच इस समझ का क्या अर्थ होगा. यानि कोष के आदेश होंगे और भारत सरकार द्वारा जो एक भिखारी की स्थिति में है आत्मसमर्पण होगा.

इस वचन के अनुसार मौजूदा वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने ८ जून १९८२ को भेजे गये आई एम एफ के नाम पत्र में जनवरी १९८३ से पहले कोष के साथ अर्थव्यवस्था का जायजा लेने का वायदा किया है. "खास तौर से" पत्र में कहा गया है कि "जायजे में जनबचत, आयात व निर्यात से संबंधित नीतियां व कदम शामिल होंगे और इसमें कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोष के साथ जरूरी समझ तैयार करना शामिल होगा."

करों व सेवा भाड़ों में वृद्धि

रेल माल-भाड़े और यात्री किराए में भारी वृद्धि, पैट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल व अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई वृद्धि न होने के बावजूद की गई, और जिन्हें बजट के कुछ ही दिन पहले घोषित किया गया, विश्व बैंक के साथ किये गये समझौते को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं है.

स्वयं बजट ने भी आम जनता पर डाक-तार व टेलीफोन की दरों में भारी वृद्धि करके तथा सब चीजों पर ५ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी आदि लगाकर भारी बोझ लाद दिया है.

भारत सरकार ने कोष के आदेशों को पूरा करते हुए खादों व खाद्यान्नों पर राहतों में कमी कर दी है.

जैसा कि हमने पहले कहा था, विश्व बैंक व कोष पर अधिक निर्भरता का मतलब है मजदूर वर्ग पर और अधिक हमले. मजदूर वर्ग के अधिकारों पर असर करने वाले तीन अन्य विधेयक, औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, ट्रेड यूनियंज (संशोधन) विधेयक और अस्पताल व अन्य संस्थान (विवादों का समाधान) विधेयक संसद के पिछले बजट अधिवेशन में पेश किये जा चुके हैं.

अनियंत्रित मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के संबंध में १९८०-८१ में बैंकिंग की प्रगति पर २१ अक्तूबर १९८१ को प्रकाशित रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि :

"कीमतों में (मासिक औसत के आधार पर) १८ प्रतिशत वृद्धि हुई, इसकी तुलना में पिछले साल यह १७ प्रतिशत थी." इससे पिछले साल को गंभीर सूखे का साल माना गया था और १९८०-८१ को भारी उपज का नहीं तो कम से कम एक सामान्य वर्ष माना गया था. और फिर भी कीमतें बढ़ीं और ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ीं.

ये आंकड़े वित्त मंत्री द्वारा संसद व संसद के बाहर किये गये दावों के विपरीत हैं कि मुद्रास्फीति १० प्रतिशत से कम हो हो गई है.

कुछ भी हो, मंत्रियों व अन्य अफसरान के आंकड़ों में जो भी कुछ क्यों न दर्शाया गया हो, साधारण आदमी के लिए मुद्रास्फीति का अर्थ हैं कि आनाकानी करके दिए गये महंगाई भत्ते को मिलाने के बावजूद भी पिछले महीने के वेतन से पिछले महीने में अपनी जरूरतों को पूरा करने में उसकी पूरी नाकामयाबी. इंदिरा गांधी की 'काम करने वाली सरकार' के ढाई सालों में आम आदमी अपने वास्तविक जीवन में यही अनुभव करता रहा.

स्वदेशी तकनीकी नामंजूर

तकनीकी के संबंध में पहले तो यह सवाल है कि जब अतिजटिल तकनीकी के बहाने या फिर निर्यात करने वाली यूनिट के नाम पर बहुराष्ट्रीय निगमों को अनेक यूनिटों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने दिया जा रहा हो तो स्वदेशी तकनीकी के विकास की कहां गुंजाइश है.

दूसरे, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी व वित्तीय सहयोगों के बाद स्वदेशी तकनीकी नामंजूर हो गई है. स्वतंत्रता के बाद तीस साल का यह अनुभव है कि वे बड़े व्यापारिक घराने, जिन्होंने विदेशियों से सहयोग किये, तकनीकी के आगे विकास के लिए हमेशा सहयोगों पर ही निर्भर रहे.

तीसरे, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टर्नकी प्रोजेक्ट दिये जाते हैं, जिन्हें विश्व बैंक या उनकी अपनी सरकारों का समर्थन प्राप्त हैं तो भारत में भूमि को समतल करने, फैक्ट्री बनाने, सड़कें बनाने, रेलवे बिछाने आदि कार्य को छोड़कर प्रोजेक्ट के किसी भी पुर्जे के बनाने की गुंजाइश नहीं होती.

आत्म निर्भरता को तिलांजलि

इस प्रकार हर संभव तरीके से स्वदेशी तकनीकी के विकास में बाधाएं डाली जाती हैं. यह प्रक्रिया सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, रसायनिकी, दवा, मोटरगाड़ी, सुरक्षा उद्योग, आदि में दिखाई पड़ती है. और फिर भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करती रहती हैं.

जनता लूटी जा रही है

जनता पर हमलों के संबंध में, हमने पिछले दो सालों के बजटों के परिणाम और बजट से पहले दरों व कीमतों में वृद्धि करने का नया हथियार देखें हैं.

भारत के रिजर्व बैंक के हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार भारत सरकार को केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से सबसे ज्यादा राजस्व की राशी प्राप्त होती है. पिछले ३१ सालों में राजस्व बेतहाशा बढ़ा है. एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त कुल राशि १९५०-५१ में मात्र ६८ करोड़ रुपये से बढ़कर १९७०-७१ में १,७५० करोड़ रुपये तथा १९८०-८१ में ७,११७ करोड़ रुपये हो गयी.

इजारेदारों को अनुचित आश्रय

केंन्द्रीय सरकार के कुल टैक्स राजस्व में एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा १९५०-५१ में १६.८ प्रतिशत से बढ़कर १९८०-८१ में ४८.८ प्रतिशत हो गया. दूसरी ओर आयकर का हिस्सा ३८.५ प्रतिशत से कम होकर १०.९ प्रतिशत रह गया.

इस तरह से आम जनता पर हमले होते हैं और इजारेदारों को अनुचित आश्रय दिया जाता है.

खादों व खाद्यान्नों पर राहतों में कटौती को हमने पहले ही नोट किया है. किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी दाम निर्धारित करने और उनकी गारंटी देने से सरकार ने इंकार कर दिया है. वे पूरी तरह इजारेदारों की दया पर रहते हैं जिनकी मंडी के धोखेबाज व्यापारियों के साथ सांठगांठ होती है.

इसके परिणामस्वरूप उन पर कर्ज बढ़ा है और कई राज्यों में कर्ज- राहत के लिए आंदोलन हो रहे हैं. रिजर्व बैंक व केंद्रीय सरकार सहकारी बैंकों के गरीब किसानों को दिए गए कर्जों को माफ करने या उन्हें कम करने की सभी योजनाओं को रद्द कर देते हैं.

जहां गरीब किसानों के प्रति उनका यह दृष्टिकोण है वहां उसी रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बड़ी व्यापारी कंपनियों व औद्योगिक यूनिटों को दिया गया १,२०० करोड़ रुपये का कर्ज वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता और कहा है कि इसे माफ कर देना चाहिए.

मजदूर वर्ग पर हमले

पिछले साल मजदूर वर्ग पर हमलों को तेज किया गया है. हालांकि सरकारी प्रवक्ताओं ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ट्रेड यूनियन, किसान, खेतीहर मजदूरों के संगठन तथा मेहनतकश जनता के संघर्षों में लीन अन्य संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर भी इसके पहले शिकार ट्रेड यूनियन मजदूर ही हुए. इस कानून को कालाबाजारियों और अन्य समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात हवा में उड़ गयी. कस्टम विभाग की हाल ही की रिपोर्ट यह कहती है कि कालाबाजारी में भारी वृद्धि हुई है. उस हालत में और हो भी क्या सकता है जब कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों में इन कालाबाजारियों को अपनी काली पूंजी को बंबई, बंगलौर जैसे शहरों में कई मंजिले भवन बनाकर श्वेत पूंजी में बदलने के लिए सीमेंट व अन्य अनुपलब्ध सामान देने में प्रतियोगिता हो.

मजदूरों पर थोपे गए संघर्षों में हस्तक्षेप करने से कांग्रेस (आई) मंत्री इंकार करते हैं. उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री ने सीटू के राज्य सचिव को कानपुर में लिखा कि क्योंकि आप वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं इसलिए वे सीटू के नेतृत्ववाले संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते.

बढ़ता दमन

हर संघर्ष को लंबा खींचा जाता है. तालाबंदी एक आम बात हो गई है और सरकार हस्तक्षेप करने से इंकार करती है.

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकारें सबसे ज्यादा हमलावर हैं.

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स में २९ सितम्बर १९८० से हड़ताल शुरू की गई क्योंकि प्रबंधकों ने सरकारी आदेशों को लागू करने से इंकार कर दिया था और यह हड़ताल एक साल से भी ज्यादा समय तक चली थी. और यहां एक यह सरकार है जिसने अपने ही आदेशों को लागू करवाने के लिए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

जे० के० रेयान में, जिसके बारे में जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में बताया गया था, हमारी यूनियन को, जिसे पिछले २० सालों से मान्यता प्राप्त है, उखाड़कर इंटक यूनियन को मान्यता देने की साजिश की गई. गैरकानूनी छटनी एक जुलाई १९८१ से शुरू हो हुई और छः महीनों से ज्यादा चली जिसमें समाज विरोधी तत्वों को लामबंद करके हमारे मजदूरों को पीटा गया तथा पुलिस ने भी इन हमलों के शिकार मथदूरों को ही गिरफ्तार किया. जब इंटक यूनियन के खेमें की तलाशी ली गई तो पुलिस को वहां से विस्फोटक व अवैध हथियारों सहित घातक हथियार मिले लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया. संघर्ष को बर्बर दमन द्वारा दबा दिया गया और श्रम मंत्री ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

ऐसी ही स्थिति जेके जूट मिल और कानपुर जूट उद्योग में पैदा हुई जहां क्रमशः १३ फरवरी और १६ अप्रैल से हड़तालें शुरू की गई. धारा १४४ लगा दी गई ताकि मजदूर पिकेटिंग न कर सकें. हड़ताल तोड़ने के लिए गुंडों की भर्ती की गई और पुलिस, गुंडा व इंटक गठबंधन ने मजदूरों पर बर्बर हमले करने के लिए प्रबंधकों की मदद की और हड़ताल को क्रूरता से दबाने के लिए उन्हे गिरफ्तार करा दिया. इन सब कठिनाइयों के बावजूद कानपुर के मजदूर हमलों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ते रहे.

उत्तर प्रदेश में हर जगह, अन्नपूर्णा बिस्कुटस कानपुर, अयोध्या चीनी मिल्ज, यू० पी० स्टेट मिनरल डवैल्पमैंट कारपोरेशन व विक्रम काटन मिल्ज में, यही कथा रही. प्रबंधकों के भाड़े के गुंडे हरिजनों सहित मजदूरों को पीटते, स्वयं प्रबंधक नेताओं व ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़ित करते, पुलिस लाठियां बरसाती व उन्हें गिरफ्तार करती ताकि आतंक पैदा किया जा सके और उनका बर्बरता के साथ दमन किया जा सके.

उन्नाव के समीप रैलीज इंडिया में संघर्ष का नेतृत्व करने वाली एटक यूनियन का भी यही हाल हुआ.

हरियाणा में भजन लाल सरकार ने हांसी-हिसार क्षेत्र को अपना निशाना बनाया. हिसार कपड़ा मिल में सभी यूनियनों ने २० मई १९८१ से संयुक्त हड़ताल शुरू की. हरियाणा सरकार ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. मजदूर इतनी दूर से दिल्ली आए और प्रधानमंत्री के घर के सामने १ सितंबर को धरना दिया, तब कहीं जाकर ३ सितंबर को हड़ताल पर समझौता हुआ. इसी मिल में जब वर्क्स कमेटी के चुनावों में सीटू के नुमाइंदों की विजय हुई तो गुंडों ने २४ मार्च १९८२ को चुने गए सदस्यों पर हमला बोल दिया.

हरियाणा कन्कास्ट व हांसी स्पिनिंग मिलों के सभी मजदूरों को २० जनवरी १९८२ को काम पर लेने से इंकार कर दिया गया क्योंकि उन सब ने १९ जनवरी की अखिल भारतीय आम हड़ताल में भाग लिया था. कहा जाता है कि सीधे भजन लाल द्वारा कहे जाने पर ही ऐसा किया गया और इस कदम को उस समय वापस लिया गया जब केंद्र को पता चल गया कि इसने दूरों की एकजुटता को तोड़ा नहीं जा सकता और अंततः मज- हस्तक्षेप किया.

हिसार चुनाव क्षेत्र में १९ मई के चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, जिसके कारण फिर से चुनाव करने की घोषणा की गई, यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में मजदूरों का बर्बर दमन इस क्षेत्र से सभी विपक्षियों का पत्ता साफ करने के लिए भजन लाल की योजना का ही एक हिस्सा है.

मध्य प्रदेश में, जहां मजदूर सबसे ज्यादा शोषित हैं, जहां न्यूनतम वेतन कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन २१० रु० है, जो ट्रेड अप्रेंटिसों के वजीफे जो अब २३० रुपये है से भी कम है, जहां मजदूर धीरे-धीरे अब सीटू के नेतृत्व में संगठित हो रहे हैं, दमन बहुत ही गंभीर है.

सिप्लैक्स इंजीनियरिंग के मजदूरों ने २१ अप्रैल १९८१ से हड़ताल शुरू की और सिप्लैक्स कास्टिंग्स के मजदूर भी ३ मई १९८१ से इसमें शामिल हो गए. इसकी स्थिति की रिपोर्ट जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में पेश की गई थी. कामरेड पी० के० मोइत्रा को छः महीने से भी ज्यादा समय के लिए जेल में रखा गया और उनकी जमानत भी मंजूर नहीं की गई. लेकिन मुकदमे व इसके फैसले से पता चला कि इस मामले में एक बिलकुल झूठ एफ आई आर दर्ज किया गया था. इस तरह उन्हें पूरे दृश्य से हटा दिया गया ताकि मजदूर उनसे कानूनी सहायता न प्राप्त कर सकें. लेकिन इस दौरान प्रबन्धकों के भाड़े के गुंड़े व पुलिस मजदूरों को पीटते व गिरफ्तार करते ताकि उन्हें आतंकित किया जा सके. सरकार की साजिश भी उस समय बेनकाब हुई जब श्रम मंत्री ने कामरेड पी० के० मोइत्रा पर दोष लगाते हुए एक बयान दिया और इस बारे में कामरेड समर मुखर्जी ने मामला उठाया.

मध्य प्रदेश की चुर्चा व विश्रामपुर कोलियरियों में सीटू यूनियनों पर पिछले नवंबर व दिसंबर में बार बार हमले किए गए. ६८ मजदूर बर्खास्त किए गए और दोनों ही मौकों पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठियां बरसाईं तथा क्रमशः ६८ व ७४ मजदूर गिरफ्तार किए गए.

सिमको स्टील फाउंडरी ग्वालियर में मजदूरों को पुलिस लाठीचार्ज व गिरफ्तारियों का सामना करते हुए उत्पीड़न के खिलाफ ७५ दिन तक संघर्ष करना पड़ा.

उज्जैन में विनोद व विमल टैक्सटाइल मिलें एक साल से

भी ज्यादा समय तक बंद रही और ८,००० मजदूर बेरोजगार हो गए. सीटू व अन्य ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में एकजुट होकर मजदूरों ने पुलिस दमन का सामना करते हुए बहादुरी के साथ संघर्ष किया और फिर २ दिन के लिए उज्जैन बन्द आयोजित हुआ. इसके बाद ही इन मिलों को खोलने के लिए आदेश देने के लिए सरकार मजबूर हुई.

वेराबलि मैंगनीज खदानों में जब मजदूरों ने एक नई यूनियन बनाई तब इस नई यूनियन को तोड़ने के लिए प्रबन्धकों ने एक मजदूर को उत्पीड़ित कर दिया. पुलिस ने मजदूरों के प्रतिरोध को क्रूरता के साथ दबा दिया और बिना किसी भड़कावे के गोली चलाकर तीन मजदूरों की हत्या कर दी.

सफी तरह के दमन का सामना करते हुए अपने लगातार संघर्षों को चलाने में मजदूरों द्वारा प्रदर्शित नई चेतना प्रशंसनीय है.

महाराष्ट्र में सबसे बड़ा संघर्ष बंबई के कपड़ा मजदूरों का है जिसके बारे में अलग से चर्चा की जाएगी. महाराष्ट्र सरकार इजारेदारों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जी-हजूरी कर रही है और उनके खिलाफ हो रहे संघर्षों का दमन करने के लिए पूरी मदद कर रही हैं. अमेरिकन बहुराष्ट्रीय निगम फायरस्टोन के उपक्रम बंबई टायर्स इंटरनैशनल में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गई. जब मजदूरों ने प्रतिरोध किया तो समझौता करने के लिए प्रबन्धकों ने कुछ समय की मांग की. लेकिन दूसरे ही दिन फैक्टरी गेट को महाराष्ट्र पुलिस ने युद्ध का मैदान बना दिया और मजदूरों पर बर्बरता के साथ दमन किया और संघर्ष को क्रूरता के साथ दबा दिया गया.

एक और बहुराष्ट्रीय निगम के उपक्रम हिंदुस्तान फेरोडो में १७ जुलाई १९८२ से हड़ताल शुरू हुई और सरकार हस्तक्षेप करने के लिए केवल तब ही मानी जब बंबई में व उसके चारों और १५० फैक्ट्रियों के मजदूरों ने संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में एकजुटता हड़ताल की.

कांग्रेस (आई) शासित अन्य राज्यों में भी दमन तेज होता जा रहा है. असम के चाए बागान में, जहां भारी संख्या में मजदूर इंटक यूनियनों को छोड़ कर सीटू यूनियनों में शामिल हो रहे हैं, दमन बेरोक जारी है. जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में दी गई रिपोर्ट यह साफ बताती हैं कि चाए बागान मजदूरों पर कितने गंभीर हमले किए गए और किस तरह उन्होंने बलात्कार, आगजनी व हत्याओं का सामना किया.

इंटक यूनियनों से भारी संख्या में मजदूरों का सीटू यूनियनों में शामिल होना हर जगह असम में जारी है और वहां सीटू दफ्तरों को जबरन कब्जे में लिए जाने की कोशिशें जारी हैं. नामरूप में १६ दिसंबर १९८१ को समाज विरोधी तत्वों द्वारा घातक हमले में कामरेड सुखनन्दन पंडित की हत्या कर दी गई और चार अन्य मजदूर घायल हुए. असम जूट मिल्ज की यूनियन इंटक से टूट कर १९७८ में सीटू में शामिल हुई थी. १९८१ में नेताओं को उत्पीड़ित किया गया और यूनियन पर इंटक ने कब्जा कर लिया. इस विशेष मामले में भी आई एल ओ के पास एक शिकायत भेजी गई.

असम में हमारे कामरेड पृथकतावादी आंदोलन के खिलाफ और प्रबन्धकों, इंटक व पुलिस के हमलों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ते रहे. यह बहुत ही खुशी का विषय है कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने प्रगति की है.

अन्य राज्यों में गंभीर संघर्ष जारी हैं और इसी तरह दमन हो रहा है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोआ, अंडेमान-निकोबार, हर जगह संघर्षों को बर्बरता के साथ दबाया जा रहा है.

सरकारी व वेतन भोगी कर्मचारियों के संघर्ष

इस दौरान में नोट करने की बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों व अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों के संघर्षों में वृद्धि हो रही है. देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी दृढ़ संघर्ष किए गए. सबसे प्रसिद्ध संघर्ष बिहार के अराजपत्रित अधिकारियों तथा राजस्थान के राज्य सरकार कर्मचारियों के हैं. इन संघर्षों को कुचलने की हर कोशिश नाकामयाब हुई और सरकार कर्मचारियों के हित में समझौते करने के लिए मजबूर हुई. ये दोनों ही संघर्ष कर्मचारियों पर थोपे गए थे क्योंकि सरकार ने वेतन आयोगों के फैसलों को लागू करने से इंकार कर दिया था.

दिल्ली, बिहार व महाराष्ट्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों व कर्मचारियों ने लंबे संघर्ष किए. रिजर्व बैंक व समाचार पत्रों के कर्मचारी अभी भी स्वचालन के खिलाफ संघर्षों में जुटे हैं. केरल में डाकतार कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष किया और इसके कारण ७ हजार से भी ज्यादा कर्मचरियों को किसी न किसी तरह उत्पीड़ित किया गया.

इसलिए संघर्ष का दौर तेजी से बढ़ रहा है और मजदूर हर दमन का सामना करते हुए पक्के निश्चय के साथ संघर्ष कर रहे हैं.

असंगठित क्षेत्र पर सबसे ज्यादा चोट

असंगठित उद्योग में स्थिति और भी खराब है. सबसे ज्यादा परिश्रम वाला उद्योग निर्माण उद्योग है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान बन गये हैं. वे देश में भारी बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं और बेतहाशा ठेका श्रम का प्रयोग कर रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप ये सार्वजनिक निर्माण कंपनियां ठेकेदारों के लिये फौरी परियोजनाओं के शिकार-स्थल बन गई हैं. हर जगह ठेका श्रम (नियमन व निवारण) कानून व इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन हो रहा है. इस उद्योग में हाल ही में अपनी ताकतों को लामबंद करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है. एन बी सी सी, एन पी सी सी, एच एस सी एल व अन्य कंपनियों में कोई वेतन समझौता नहीं हुआ है और कीमत वृद्धि के कारण वास्तविक वेतन में भारी कमी हो गई है.

असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन निर्धारण के सवाल और उसे लागू करवाने की प्रक्रिया पर हमें ध्यान देना चाहिए. वर्षों से न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ है. और अब सर-

कार न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये शर्त तय करने से भी इंकार कर रही है.

श्रम विरोधी काले विधेयक

मजदूरों के प्रतिरोध को बढ़ता देखकर अब सरकार ने चार काले विधेयक पेश किये हैं जो असलियत में हड़ताल के अधिकार को छीन रहे हैं. इन विधेयकों का विस्तार से अध्ययन करके मैंने एक पैमफ्लैट (पुस्तिका) लिखा है, जिससे सीटू ने प्रकाशित किता है, और इसलिये मैं इसके विषय में यहां कुछ नहीं कहूंगा.

एकजुट प्रतिरोध

मजदूर वर्ग इन बढ़ते हमलों के सामने झुका नहीं है. उनका प्रतिरोध और खास तौर से एकजुट प्रतिरोध बढ़ रहा है.

जैसे ही एस्मो की घोषणा की गई, वामपंथी नेतृत्व के तीन राज्यों पश्चिम बंगाल त्रिपुरा व केरल के मजदूर वर्ग ने क्रमशः १४ सितंबर, ११ सितंबर व ३ सितंबर को राज्यव्यापी हड़ताल व बंद आयोजित किया जिसने अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग के प्रतिरोध संघर्ष का मार्गदर्शन किया.

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों से संबंधित समूचे देश के ५ लाख मजदूरों ने २३ नवंबर को संसद पर भारी प्रदर्शन किया और एक रैली की. इन मजदूरों ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण विधेयक की वापसी की मांग की और साथ ही अन्य मांगें रखीं. एकजुट संघर्ष के इतिहास में यह मार्च अभूतपूर्व था.

इसके बाद पहली अखिल भारतीय हड़ताल हुई. हालांकि सरकारी प्रचार तंत्र व बुर्जुवा समाचार-पत्रों ने इसे कम करके प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन यह सच्चाई है कि पहली बार समूचे देश में औद्योगिक मजदूर भारी संख्या में सामने आये और कुछ स्थानों में हड़ताल ने बंद का रूप ले लिया.

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में १९ जनवरी को अधिकृत बंद की घोषणा की गई. लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार के बड़े हिस्सों व उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों व क्षेत्रों में अपने आप 'बंद' आयोजित हो गये और चाहे इसके खिलाफ सरकार का कैसा भी प्रचार क्यों न रहा हो.

मजदूर वर्ग की यह शक्तिशाली कार्यवाही थी और इसकी उचित समीक्षा जरूरी है. अनेक केंद्रों में हमारी कमजोरियों को कभी-कभी प्रकाश में नहीं लाया जाता. इस कार्यवाही के विकास में सीटू की भूमिका ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति में दिक्कतों, समिति के घटकों द्वारा उठाये गये भिन्न कदमों व इस संघर्ष में हमारे अनुभव का जायजा लेना जरूरी है. इससे हमें सही सबक सीखना है ताकि केंद्र में कांग्रेस (आई) सरकार के बढ़ते अधिनायकवाद का मुकाबला करने के लिये आगे कदम उठाये जा सकें.

संघर्षों व खास तौर से संयुक्त संघर्षों की रिपोर्ट यह बताती है कि भारी दमन के बावजूद मजदूर वग व मेहनतकश जनता के अन्य हिस्से हताश नहीं हुए हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं.

बंबई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

बंबई के ढाई लाख कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के बारे में, जो १८ जनवरी १९८२ से शुरू हुआ और इसे तोड़ने की सरकार की हर कोशिशों के बावजूद जो अभी भी जारी हैं, खास तौर से यहां चर्चा करने की जरूरत है. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (इंटक) कपड़ा-सेठों के साथ सहयोग की नीति अपना रही थी और मजदूरों की पीठ पीछे समझौते करके मजदूरों पर थोप रही थी.

सरकार ने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया और मजदूरों को भूखे मार कर झुकाने का फैसला किया. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर प्रचार व एकजुटता कार्यवाहियां की. राहत जुटाई गई. बंबई में एक एकजुटता हड़ताल हुई. पिछली ८ जुलाई को समूचे महाराष्ट्र के कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की. सरकार ने अब कुछ प्रस्तावित किया है लेकिन वे फिर भी समझौते पर बातचीत करने से इंकार करते हैं. संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी अब शामिल हो गया है. यह अब प्रतिक्रियावादी बी० आई० आर० कानून के खिलाफ भी संघर्ष हो गया है. आगे कदम उठाने के लिये वर्किंग कमेटी को इस संघर्ष पर विचार करना चाहिये.

स्वतंत्रता, जनवाद व समाजवाद का झंडा बुलंद करो

साथियो,

मैंने अपनी रिपोर्ट में सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में, खास तौर से आई एम एफ से कर्ज व इस द्वारा मांगी गई शर्तों के सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर काफी कुछ कहा है क्योंकि अगर समय रहते इन नीतियों को नियंत्रित व खत्म नहीं किया गया तो ये हमारे देश की स्वतंत्रता के लिये खतरा हैं.

यह याद रखना चाहिए हमारे देश में फूटपरस्त ताकतों के पास धन इन्हीं स्रोतों से आता है. मजदूर वर्ग के संघर्षों के दौरान जब तक हम मजदूर वर्ग को बार-बार यह नहीं समझाते कि इन नीतियों के तहत उन पर हमले होते ही रहेंगे, और उन्हें यह नहीं समझाते कि ये हमले सदा के लिये खत्म हो जाएंगे यदि ये नीतियां बिल्कुल बदल दी जाएं, तब तक हम अपने वर्ग और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते.

आज यदि मजदूर वर्ग स्वतंत्रता, जनवाद और समाजवाद का झंडा नहीं उठाता है तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस झंडे को उठा सके और देश में विघटनकारी व फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ जनता को लामबंद कर सके.

अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करो

साथियो,

मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खतरनाक बातों का जिक्र नहीं किया है क्योंकि हमारे अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसकी चर्चा की है.

इन अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों की पूर्ति हमारे संगठन की स्थिति और मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना के स्तर पर निर्भर करती है. इसलिये, आइये हम पूरे जोश व निश्चय के साथ इन कर्तव्यों के विषय में स्वयं को ही संबोधित करें. इस कार्य में कोई देर नहीं होनी चाहिये. □

वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

बढ़ते युद्ध के खतरे व शांति के लिए संघर्ष पर

बंगलौर में २१ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक अमेरिकी साम्राज्यवादियों की न्यूक्लीयर युद्ध का खतरा पैदा करने के लिए निंदा करती है. सोवियत यूनियन से खतरे के मनगढंत बहाने पर इतिहास में अब तक लिखे गए सबसे ज्यादा निंदनीय हथियार-दौड़ शुरू करके, अमेरिका इस पर फौजी श्रेष्ठता हासिल करना चाहता है. इसकी हमलावर युद्ध नीतियां समाजवादी सोवियत संघ के खिलाफ हैं.

अमेरिका के इस हमलावर मार्ग का स्रोत इसका सार्वभौमिक प्रभुत्ता का इरादा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति है तथा इसे फौजी-औद्योगिक संस्थानों के मुनाफे के स्वार्थों से समर्थन प्राप्त है. आज अमेरिका के पास युद्ध के हथियारों के १०,००० यूनिट हैं, इसमें से प्रत्येक हीरोशमा बम से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं. और फिर भी सभी सामाजिक सुरक्षा कदमों में कटौती करके युद्ध हथियारों को जमा करना जारी है. मिसाइलों के अलावा अमेरिका के पास डरावने न्यूट्रान बम हैं जो जीवित कोषों को नष्ट करके मानव जीवन की हत्या कर देते हैं लेकिन संपत्ति को बनाए रखते हैं. इसके अलावा अमेरिका जलगत मिसाइल वाहकों और पहाड़ों की चोटियों पर व अंतरिक्ष में लगाने के लिए लेसर हथियार के निर्माण का त्रिशाख कार्यक्रम चला रहा है. न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार "मृत्यु किरणों" पर प्रयोगों पर २०० करोड़ डालर पहले ही खर्च किए जा चुके हैं. इन सबके अलावा अमेरिका में रसायनिक युद्ध की तैयारियां बड़े जोरशोर के साथ हो रही हैं. अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लीयर हथियारों से लैस अपनी आधी फौजें पश्चिमी यूरोप, पर्शियन गल्फ, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका व केंद्रीय अमेरिका में नियुक्त कर दी है. पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार देकर इसने युद्ध का खतरा भारत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. अपने क्षेत्र से बाहर फौजी अड्डों की संख्या में कोई भी दूसरा देश अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता.

यूरोपीय भूमि को युद्ध में झोंकने के लिए अपने नाटो गुटबंदियों पर अधिक फौजी बजट लादने की इसकी कोशिशों से यूरोप व इसके नाटों गुटबंदियों में जबर्दस्त प्रतिक्रिया पैदा हुई है.

साल्टii-संधि का अनुमोदन करने से इंकार करके इसने न्यूक्लीयर हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने के सोवियत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. दूसरी ओर इसने 'सीमित न्यूक्लीयर युद्ध' के सिद्धांत को पेश करके अपने घिनौने इरादों की पुष्टि की है और यदि यह एक बार शुरू हुआ तो यह हमेशा इसके जन-संहार में समूचे विश्व को ग्रस्त रखेगा.

यह बैठक पूंजीवादी देशों में युद्ध के खिलाफ हुए विशाल प्रदर्शनों का अभिनंदन करती है जिनमें हर देश में लाखों मजदूरों, छात्रों, युवकों व महिलाओं ने भाग लिया. अमेरिका में भी भारी प्रदर्शन हो रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रदर्शन निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने हुआ. जनता ने रीगन की युद्ध नीति के खिलाफ लंदन में उनकी यात्रा के दौरान एक विशाल रैली आयोजित करके अपना रोष व्यक्त किया. रीगन की यात्रा के दौरान पश्चिम बर्लिन व पेरिस में युद्धविरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ जमकर लड़ाई लड़ी. अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिमी जर्मनी के संसदों में विपक्षी दलों ने युद्ध तैयारियों को रोकने की मांग की.

यह बैठक पूंजीवादी दुनिया, सोवियत यूनियन व अन्य समाजवादी देशों की कामकाजी जनता के लाखों मेहनतकशों का शांति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष को तेज करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती है.

यह बैठक निर्गुट आंदोलन को शांति व निरस्त्रीकरण के लिए इसके संघर्ष के लिए प्रशंसा करती है और भारत सरकार का अपने ढुलमुलपन को त्यागने तथा शांति व निरस्त्रीकरण के समर्थन में अपनी आवाज बेशर्त बुलंद करने के लिए आह्वान करती है.

यह बैठक डब्लू एफ टी यू को अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी जंगी-जालसाजियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन विकसित करने की कोशिशों के लिए बधाई देती है और दसवें विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन में द्वितीय विश्व-युद्ध के शुरू होने के दिन, एक सितंबर, को शांति व एकजुटता दिवस के रूप में मनाने के फैसले का समर्थन करती है.

यह बैठक राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों का मजदूरों के सभी हिस्सों को लामबंद करने और जनता का एक सितंबर को मनाने तथा युद्ध के खिलाफ अपनी शक्तिशाली आवाज बुलंद करने तथा शांति, समाजवाद व जनवाद के लिए संघर्ष विकसित करने के लिए आह्वान करती है. यह बैठक देश के समूचे मजदूर वर्ग युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ तथा शांति व निरस्त्रीकरण के लिए सघर्ष को तेज करने की अपील करती है. □

ट्रेड यूनियन इंटर नेशनल से आमंत्रण

वर्किंग कमेटी की बैठक में यह घोषणा की गई कि कपड़ा मजदूरों के ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ने अपने सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगाल चटकल मजदूर यूनियन से एक प्रतिनिधि आमंत्रित किया है. यूनियन सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के साथ परामर्श करके प्रतिनिधि का नाम तय करेगी.

धातु (मेटल) मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ने अपने सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया से एक प्रतिनिधि आमंत्रित किया है. यह फैसला लिया गया कि स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से अर्धेन्धु दक्षी सम्मेलन में भाग लेंगे. □

अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में संघर्षों पर

बंगलोर में २१ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक रंगभेद, जियोनिज्म (यहूदीवाद, व साम्राज्यवाद के खिलाफ अफ्रीका व लैटिन अमेरिका की जनता के मुक्ती संघर्षों के साथ दृढ़ एकजुटता व्यक्त करती है.

साम्राज्यवादियों से समर्थन प्राप्त जातिभेदी दक्षिण अफ्रीका उपनिवेशिक प्रणाली व रंगभेद को बरकरार रखने के लिए दमन बहुत ही तेज कर रहा है और दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की जनता इसका सामना कर रही है. जनता की मुक्ती सेना को खत्म करने तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की जनता के संगठन को नष्ट करने की कोशिशों में असंख्य जीवन नष्ट कर दिये गये हैं, गांवों को उजाड़ दिया गया है और अस्पतालों व स्कूलों को उड़ा दिया गया है. इस प्रक्रिया में सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने अंगोला पर हमला किया है. समूचे विश्व के जनमत की परवाह न करते हुए अमेरिका व इंग्लैंड के साम्राज्यवादियों ने जातिभेदी निजाम को समर्थन दिया है. इसी तरह अमेरिकी साम्राज्यवादियों के समर्थन के बल पर फिलिस्तीन व लेबनान की जनता पर हमलों को फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन (पी एल ओ) के अस्तित्व को खत्म करने के लिए तेज किया जा रहा है.

यह बैठक अफ्रीकी व अरबी जनता के मुक्ती संघर्षों पर साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त करके किए जाने वाले हमलों की निंदा करती है और इस साल के शुरू में लुआंडा में संपन्न अफ्रीका-अरब सम्मेलन की भौगोलिक सीमाओं को तय करने और संघर्षों में साम्राज्यवाद विरोधी एकता स्थापित करने की कोशिशों की प्रशंसा करती है.

यह बैठक क्यूबा, निकारागुआ, के खिलाफ हथियार बन्द हमलों को जारी रखने तथा एल-साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, हैटी व चिली में मुक्ती संघर्षों का दमन करने के लिए तानाशाही निजामों को आर्थिक व फौजी सहायता देने तथा लैटिन अमेरिका में सीधे हस्तक्षेप करने की अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति की कड़ी निंदा करती है. अमेरिकी क्षेत्र में हमलावरों को सघन प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिन्हें निकारागुआ व क्यूबन कोस्ट की सीमाओं पर भेजा जा रहा है और इनका फासीवादी निजामों के माध्यम से देश प्रेमी ताकतों के खिलाफ बर्बर दमन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह क्यूबा के समाजवादी राज्य तथा लैटिन अमेरिका व कैरिब्बियन में क्रांतिकारी संघर्षों के खिलाफ अमेरिका की घिनौनी साजिशों की पुष्टि करती है.

यह बैठक अफ्रीका व लैटिन अमेकिा में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों का नेतृत्व करने वाली बहादुर देश प्रेमी ताकतों का अभिनन्दन करती है और राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों का अमेरिकी साम्राज्यवादी, यहूदीवादी तथा जातिभेदी साजिशों के खिलाफ आवाज बुलंद करने और इन देशों के मुक्ती संघर्षों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करने का आह्वा नकरती है. □

इस्राइली हमले पर

बंगलोर में २३ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक यहूदीवाद व साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए सबसे अधिक कारगर ताकत, फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन (पी एल ओ), को नष्ट करने के लिए लेबनान पर अमेरिकी समर्थन प्राप्त यहूदीवादी इस्राइली हमले की निंदा करती है. पी एल ओ पर हमला अरब दुनिया के समूचे साम्राज्यवाद विरोधी हिस्से पर क्रमिक हमलों का एक भाग है. पिछले साल जून में उन्होंने ईराक के न्यूक्लीयर रिएक्टर पर बमबारी की, बेरूत पर बमबारी करके लेबनान में अपनी हमलावर नीतियां जारी रखीं, और दिसंबर में गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया. मौजूदा बमबारी से न केवल पी एल ओ शक्ति के अनेक साथी मारे गए हैं बल्कि लेबनान के लाखों नागरिक मारे भी गए हैं.

बेरूत से इस्राइली फौजों की वापसी की मांग करते हुए फ्रांस द्वारा सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के वीटो की यह बैठक निंदा करती है. तेल उत्पादन करने वाले इस पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अपने स्वार्थों के हित में अमेरिका द्वारा दिए गए इस खुले समर्थन ने इस्राइली आक्रमणकारियों को न केवल लेबनान से इनकी वापसी की मांग करते हुए निर्गुट द्वारा पेश किये गये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करने के लिए हौसला दिया है बल्कि युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन करने तथा पी एल ओ से आत्म-समर्पण करने व लेबनान छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत दी है. यह फिलिस्तीनियों को उनके अपने राष्ट्र के होने से वंचित करने और लेबनान के दक्षिणी हिस्से को इस्राइल के पिट्ठू राज्य बनाने की उनकी नीतियों के तहत हुआ है. वे इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने पानी व बिजली की सप्लाई काट दी और भोजन व दवाओं की सप्लाई बन्द करते हुए सभी मांगों को बंद कर दिया.

यह बैठक फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन के बहादुर योद्धाओं का अभिनन्दन करती है और उनके जायज संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है.

यह बैठक अपनी राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों का अभिनन्दन करती है जिन्होंने पी एल ओ के जवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है और उनकी सहायता की है तथा यह उनका आह्वान करती है कि लेबनान से इस्राइली फौजों की वापसी की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद करें.

यह बैठक भारत सरकार से मांग करती है कि यह निर्गुट व समाजवादी देशों तथा विश्व की शांति-प्रेमी शक्तियों के साथ करीबी सहयोग के साथ कदम उठाएं ताकि जनता का कत्ले-आम बन्द करने व कब्जाए गए क्षेत्र से तुरंत निकलने के लिए आक्रमणकारी मजबूर हो जाएं. □

विकसित पूंजीवादी देशों में संघर्षों के साथ एकजुटता पर

बंगलोर में २३ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक विकसित पूंजीवादी देशों

के मजदूर वर्ग का अभिनन्दन करती है जो मुद्रास्फीति, वास्तविक वेतन में कमी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा में कटौती व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ दृढ़ संकल्पी संघर्ष कर रहे हैं.

दो-अंको की भारी मुद्रास्फीति के साथ इन विकसित पूंजी, वादी देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. ईईसी देशों में जहां बेरोजगारी जुलाई १९८० में ६६ लाख से बढ़कर अब एक करोड़ ५ लाख हो गई, वहां ओईसीडी देशों में यह पिछले साल २ करोड़ ४० लाख से बढ़कर २ करोड़ ८० लाख हो गई. अकेले अमेरिका में बेरोजगारी एक करोड़ ३ लाख हो गई है और मुद्रा-स्फीति २० प्रतिशत हो गई है. ब्रिट्रेन में बेरोजगारी ४० लाख हो गई है जो १९३० के संकट के बाद सबसे ज्यादा है. अन्य विकसित देशों में भी ऐसी ही स्थिति है.

इन देशों की शासक पूंजीवादी सरकारों ने आर्थिक स्थिति में बिगड़ाव के परिणामों को कामकाजी जनता के कंधों पर लादने के लिए कोशिशें तेज करदीं और क्लोजर, श्रमिकों को नौकरी से निकालने, हड़तालों पर रोक लगाने व दमन द्वारा ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमले तेज कर दिये हैं.

यह बैठक मजदूर वर्ग का इन हमलों के खिलाफ अपने प्रतिरोध को तेज करने के लिए अभिनंदन करती है. कठिन संघर्ष हैं और मजदूर संघर्षों में बढ़ता जुझारूपन प्रदर्शित कर रहे हैं. अमेरिका में रीगन प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा में कटौती करने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए. पंद्रह हजार वायु नियंत्रकों तथा एक लाख ६० हजार संयुक्त खदान मजदूरों की हड़तालों की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यानार्कषण हुआ तथा इनके साथ एकजुटता व्यक्त की गई. इसके बाद वास्तविक वेतनों में कमी तथा बेरोजगारी के खिलाफ अन्य उद्योगों में हड़तालें रीगन प्रशासन को हिला रही हैं. ब्रिटेन में ५ लाख जन सेवा कर्मचारियों ने हड़ताल की. टीयूसी ने काम के अधिकार की मांग करते हुए लिवरपूल से देशव्यापी मार्च आयोजित किया. उसके बाद, मजदूरों की संपूर्ण हड़ताल द्वारा ब्रिटेन में समूची रेलवे व परिवहन प्रणाली ठप्प कर दी गई. इसी तरह, इटली में एक करोड़ औद्योगिक मजदूरों की हड़ताल और उसके बाद १५ लाख खेतीहर मजदूरों की हड़ताल ने, पुर्तगाल में ३ लाख कपड़ा मजदूरों की हड़ताल ने, फ्रांस में सिट्रोइन प्लांटों के १५ हजार मजदूरों की हड़ताल ने, बेल्जियम व स्पेन में धातु व इस्पात मज-दूरों की हड़ताल ने, आस्ट्रेलिया में खदान मजदूरों की हड़ताल ने और जापान में मजदूरों के स्प्रिंग संघर्षों ने विकसित पूंजीवादी देशों को हिला दिया है.

यह बैठक पूंजीवादी शासकों द्वारा किए जा रहे बर्बर दमन की निंदा करती है और इन विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग के संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है. □

१९८२ के चुनावों पर

बंगलौर में २३ से २५ जुलाई को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग व जनता का अभिनंदन करती है जिसने वाममोर्चे को दूसरी बार सत्ता में लाने के लिए अपना वोट दिया है. उन्होंने कांगेस (आई) व उसके हिमातियों की चुनाव रोकने की सभी घिनौनी करतूतों को शिकस्त दी है तथा वाममोर्चे को चार-पांचवें के भारी बहुमत से, जिसमें अकेले सी० पी० आई० (एम) को संपूर्ण बहुमत प्राप्त है, फिर से सत्ता में लाकर उनके गलत प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

यह बैठक सीटू के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार का अभिनंदन करती है जिसने जनता को दिए गए वायदों को पूरा करते हुए और सरकार को अस्थिर करने की कांग्रेस (आई) की सभी साजिशों का मुकाबला करते हुए पांच साल का पूरा काल सफलतापूर्वक पूरा किया है. दूसरी क्रमिक जीत यह सिद्ध करती है कि वाममोर्चा सरकार पिछले पांच सालों में मेहनतकश जनता के हित में कार्य करती रही है. दलित तबकों के सभी हिस्सों जैसे बंटाईदार व खेतीहर मजदूर और खासतौर से जनजातियों को, अपने सीमित प्रसाधनों में, दी गई सुविधाएं और जनवादी संघर्षों में पुलिस के हस्तक्षेप रोकने तथा एन एस एवएस्मा लागू करने में इंकार करने के कार्य अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष को जबरदस्त बल प्रदान करेंगे व जन-वाद के लिए संघर्ष के स्तंभ का कार्य करेंगे.

यह बैठक सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी का अभिनंदन करती है जिसने वाममोर्चे को सत्ता में लाने के लिए भारी तादात में वोट देने के लिए मजदूर वर्ग को सफलता पूर्वक लामबंद किया.

यह बैठक केरल के मजदूर वर्ग व जनता का भी अभिनंदन करती है जिन्होंने कांग्रेस (आई) के नेतृत्व वाले सांप्रदायिक व जातिवादी संगठनों के गठबंधन के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया है. केरल के चुनावों से पता चलता है कि जहां पिछले कुछ सालों में सी पी आई (एम) के नेतृत्व में वामपंथी व जनवादी ताकतों ने अपने आप को काफी मजबूत किया है, वहां कांग्रेस (आई) मजदूर वर्ग व जनवादी जनता से और भी ज्यादा कट गई तथा एक लाख से भी कम वोटों से चुनावी जीत हासिल करने के लिये इसे सांप्रदायिक, जातिवादी व अन्य फूटपरस्त ताकतों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना पड़ा. यह बैठक जनता को बीजेपी की भूमिका के प्रति सावधान करती है जिसने ६५ उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हुए, जो मात्र अपने कांग्रेसवाद विरोध को प्रद-र्शित करने की कोशिश में जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं था, गुप्त रूप से कांग्रेस (आई) का समर्थन किया.

यह बैठक केरल के मजदूर वर्ग को सावधान करती है कि कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में इस सरकार का पहला कदम एन एस ए व एस्मा लागू करना जिसे लागू करने से वामपंथी-जन-वादी मोर्चे की सरकार ने इंकार कर दिया था, और ट्रेड यूनि-यन व जनवादी अधिकारों पर हमले करना होगा. यह जनता को संप्रदाय व जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए सबकुछ करेगी. मजदूर वर्ग को स्वयं को एकजुट करना होगा, जनवादी ताकतों को लामबंद करना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा.

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव भी यह बताते हैं कि कांग्रेस (आई) अपने उस प्रभाव को खो चुकी है जो इसके पास १९८० के चुनावों के दौरान था. हारी हुई ओर खड़ी होकर उसने उदंडता के साथ हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकारें स्थापित करने के लिए हेरा-फेरी की. यह बैठक हरियाणा के राज्यपाल की निंदा करती है जिसने केंद्र की कठपुतली की तरह काम करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जब की इसने इससे पहले लोकदल के विपक्षी नेताओं को अपने बहुमत को शारीरिक तौर पर प्रदर्शित करने के लिए कहा था जिसे वास्तव में प्रदर्शित किया भी गया.

यह बैठक ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती हैं कि वे अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ जनप्रिय-प्रतिरोध का आयोजन करने के लिए वामपंथी ताकतों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करें.

दमन पर

बंगलौर में २३ से २५ जुलाई को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक देश में मजदूर वर्ग के संघर्ष को निर्दयतापूर्वक दबाने के लिए भारत सरकार की निन्दा करती है. इसके खास निशाने सीटू की यूनियनें और कार्यकर्त्ता रहे है.

मजदूरों के विभिन्न हिस्सों ने अपनी न्यायोचित मांगों के लिए लम्बी-लम्बी हड़तालें कीं. हड़तालियों के ऊपर बर्बर प्रति-हिंसा के साथ आक्रमण करके सरकार ने मजदूरों की मांगों के प्रति, चाहे वे कितनी ही न्यायोचित क्यों न हों, अपनी असहनशीलता को बिलकुल साफ कर दिया. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की शर्तों के अधीन तथा इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षक के रूप में कार्य कर रही सरकार ने पूरे देश में हड़तालियों को मारने पीटने के लिए पुलिस को लगा दिया. प्रशासन के समाज-विरोधी भाड़े के टट्टू मजदूरों को पीटते रहे हैं और पुलिस उनसे सांठ-गांठ करती रही है.

असम के चाय बागान मजदूरों के बोनस-संघर्ष के दौरान सीटू कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ किया गया बर्बर दमन ऐसे तमाम दमन को मात कर देता है. सरकारी मशीनरी ने संघर्ष को दबाने और इंटक यूनियनों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार किया तथा पुलिस की हिरासत में मजदूरों की हत्यायें की.

उत्तरप्रदेश के श्रम-मंत्री ने सीटू से तब तक बात चीत करने से इंकार कर दिया है जब तक कि सीटू वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को छोड़कर वर्ग सहयोग का सिद्धांत नहीं अपना लेती. उन्होंने कानपुर के लम्बे संघर्षों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और संघर्षरत मजदूरों की पिटाई के लिए प्रशासन तथा इंटक यूनियनों की मदद की और निरोधक आदेशों के द्वारा उनपर रोक लगा दी. उनके उपमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सीटू को खत्म कर देने की बात खुले आम जनता के बीच कही.

हरियाणा में भजनलाल सरकार ने संघर्षरत मजदूरों पर बार बार हमले किए हैं. प्रतिहिंसा की भावना यहां तक बढ़ गई कि १९ जनवरी की हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए हिसार और सोनीपत में हजारों मजदूरों को देश के विधान और कानूनों की जरा भी परवाह न करते हुए नौकरियों से निकाल दिया गया.

बिहार की इन्दिरा कांग्रेस सरकार ने स्वयं अपने ही कर्मचारियों पर देखते ही गोली मार देने का आदेश देकर नंगा आतंक पैदा कर दिया, जो सरकारी वेतन समिति की सिफारिशों को लागू किये जाने से इंकार करने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर दिए गये थे. अध्यापकों की हड़ताल में इसने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और अध्ययन की परवाह न करते हुए, अध्यापकों को दम्भपूर्वक सबक सिखाने के लिए पूरे राज्य में सभी विश्वविद्यालयों को बन्द कर दिया. राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और बिजलीकर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रति उसी तानाशाही पूर्ण रवैय्ये का परिचय दिया. केन्द्र और महाराष्ट्र की सरकारें इंटक यूनियन को संरक्षण देने की हताशापूर्ण कोशिश में बम्बई के कपड़ा मजदूरों तथा अन्य सहायक मजदूरों की लम्बी हड़ताल में मजदूरों की परेशानियों के प्रति बिलकुल शान्त हैं और इस प्रकार मजदूरों को भुखमरी की तरफ तथा सम्पूर्ण उद्योग को पूर्ण बर्बादी की तरफ ढकेल रही हैं.

सरकार ने २३ नवम्बर १९८१ की ऐतिहासिक मजदूर रैली द्वारा दी गई चेतावनी को नोट करने से इंकार कर दिया और ५० हजार मजदूरों को गिरफ्तार करके तथा बहुतों की पुलिस की गोली से हत्या करके १९ जनवरी की हड़ताल को कठोरतापूर्वक दबाने की कोशिश की.

यह बैठक एस्मा और एन० एस० ए० का सामना करते हुए बहादुरीपूर्वक संघर्ष करने के लिए इन मजदूरों को बधाई देती है और अपनी एकता को और भी मजबूत करने, काले विधेयकों को नामंजूर करने तथा अपनी न्यायोचित मांगों और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार के लिए जुझारु संघर्ष छेड़ने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान करती है.

यह बैठक सच्चाई को मद्देनजर रखने के लिए देश के मजदूरों को चेतावनी देती है कि यद्यपि सीटू को निष्ठुर दमन का प्रमुख निशाना बनाया गया है, परन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि अन्य यूनियनों से सम्बन्ध मजदूरों को भी इसी प्रकार के कठोर हमलों का निशाना बनाया गया है. यह लगातार गहराते आर्थिक संकट के द्वारा पैदा किए जा रहे गतिरोध को प्रदर्शित करता है जिसे हल करने में असफल सरकार आतंक फैलाने और मजदूर वर्ग के बढ़ते हुए प्रतिरोध को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिनायकवादी तरीके अपना रही है. इस बैठक की यह पक्की राय है कि मात्र विशाल एकजुट प्रतिरोध ही सरकार को इन नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर सकता है.

अत: यह सभा राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे इन्दिरा कांग्रेस प्रशासन के अधिनायकवादी हमलों का प्रतिरोध करने के लिए संयुक्त आंदोलन के लिए

पहल करें तथा तमाम जनवादी ताकतों को लामबन्द करें और साथ ही साथ अपनी स्वतंत्र गतिविधियों को तेज करें. □

श्रमिक विरोधी काले विधेयकों पर

सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक, मजदूर वर्ग विरोधी विधेयक पेश करने के लिए भारत सरकार की निन्दा करती है. संसद के पिछले अधिवेशन में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, अस्पताल और अन्य संस्थान (विवाद निपटारा) विधेयक तथा वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक नामक ये चारों विधेयक देश में सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकमत राय की परवाह न करते हुए पेश किए गए. इंटक ने भी इसके खिलाफ अपनी राय चार वर्ष पूर्व तब व्यस्त की थी जब १९७८ में जनता पार्टी की सरकार ने घृणित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश किया था. यह औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक खेती के काम, अस्पतालों, दवाखानों" शिक्षण व वैज्ञानिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों आदि में कार्यरत लाखों मजदूरों को औद्योगिक विवाद कानून के दायरे से बाहर करने की कोशिश करता है, और इस प्रकार उन्हें हड़ताल के अधिकार से वंचित करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी झांसा देता है.

शिकायतें निपटाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराने के धोखे से पेश किया गया यह अस्पताल और अन्य संस्थान (विवाद निपटारा) विधेयक वास्तव में इन सभी मजदूरों को मालिकों की मर्जी के अधीन कर देगा क्योंकि मशीनरी के सभी सदस्यों को मालिकों के द्वारा भुगतान किया जायगा तथा छंटनी को व्यक्तिगत विवाद माना जाएगा.

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक १०० अथवा इससे अधिक मजदूरों वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निपटारा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और तब तक कोई भी विवाद अध्याय III के तहत अधिकरण में प्रेषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उक्त अधिकारी उस पर विचार न कर ले. दूसरे शब्दों में तय न किए जाने पर अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए आंदोलन करने का मजदूरों का अधिकार छीना जा रहा है. धारा ३६ बी के तहत सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के दायरे से भी इस बहाने से बाहर रखने का अधिकार मिल गया है कि उक्त प्रतिष्ठान में औद्योगिक विवादों की जांच तथा निपटारे के लिए उपयुक्त प्रावधान मौजूद है. विधेयक 'अनुचित श्रम व्यवहार' पर एक नये अध्याय का प्रावधान करना है जो कि यूनियनों तथा मजदूरों पर गैर कानूनी समझी गई हड़ताल में हिस्सा लेने, हड़ताल के दौरान धरना देने, धीमे काम करने और काम के घण्टों के बाद कारखाने के अन्दर बैठने, मालिक अथवा किसी प्रशासनिक कर्मचारी के निवास पर प्रदर्शन करने, जोर जबरदस्ती और हिंसा कहे जा सकने वाले किसी भी कार्य में शामिल होने पर प्रतिबन्ध लगता है. इसके लिए बिना जांच नौकरी से बर्खास्तगी के अतिरिक्त छः माह की कैद और १००० रुपये तक जुर्माने की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.

ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक यूनियन गठित करने के अधिकार एवं मजदूरों के स्वयं अपना नेता चुनने के अधिकार को बदलने को कोशिश करता है. विधेयक के अनुसार किसी भी यूनियन के पंजीकरण के लिए १० प्रतिशत अथवा कम से कम सौ मजदूरों को दर्खास्त देनी होगी तथा कार्यकारिणी में बाहरी लोगों की संख्या ५० प्रतिशत से कम करके २५ प्रतिशत कर दी जायगी. ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को गैरकानूनी हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए यूनियनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार दिया जा रहा है. ट्रेड यूनियन विवाद के नाम से एक और अध्याय जोड़ा गया है जिससे किसी भी मजदूर द्वारा विवाद उठाने पर रजिस्ट्रार को मध्यस्थता करने तथा यूनियन के चुने हुए नेता कौन हैं यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है तथा उसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है. यह भी प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक विवाद कानून के तहत दण्डित कोई भी व्यक्ति किसी भी यूनियन का पदाधिकारी नहीं हो सकता है.

वेतन भुगतान संशोधन विधेयक सीधे वेतन से ही यूनियन का चन्दा ले लेने को कानून सम्मत बनाने की कोशिश करता है तथा अधिकारियों को मनोरंजन आदि सुविधाओं के लिए वेतन से कुछ धनराशि काट लेने की इजाजत देता है.

निष्कर्ष रूप में ये चारों विधेयक संगठन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी एवं हड़ताल के अधिकार को छीनने तथा प्रशासन की दलाल यूनियनों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं. अपने अधिकारों, वेतन और जीवनस्तर की रक्षा के लिए इन विधानों का उल्लंघन करके हड़ताल करने वालों के खिलाफ कठोर दण्डों का विधान बनाया गया है. शिकायतों को निपटाने के बहाने सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन को, बातचीत, समझौता वार्ता, मध्यस्थता तथा अधिनिर्णय के कीचड़ में डालने की कोशिश की जा रही है.

यह बैठक इस तथ्य को सामने रखती है कि ये विधेयक ऐसे वक्त पर पेश किये गये हैं जब कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति में पहले ही काफी कुछ परिवर्तनों की घोषणा कर चुकी है जो कि इजारेदारों को मजदूरों और जनता की कीमत पर भारी मुनाफा कमाने की ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देते हैं तथा आत्म-निर्भरता एवं पूरे समाज की भलाई की कीमत पर बहुराष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा देते हैं. ये विधेयक ऐसे समय में पेश किये जा रहे हैं जबकि देश गहरे आर्थिक संकट की गिरफ्त में हैं और इस संकट से उबरने की असफल कोशिश में भारत सरकार ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की दया के सामने पूरी तरह आत्म समर्पण कर दिया है. संसद पर २३ नवंबर को विशाल ऐतिहासिक रैली तथा १९ जनवरी, को देशव्यापी आम हड़ताल के द्वारा दी गई चेतावनी को नजर अन्दाज करके इन विधेयकों का पेश किया जाना यह प्रमाणित करता है कि ये वे कदम हैं जिन्हें विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेशों पर उन्हें सांत्वना देने के लिये उठाये गये हैं और इनका उद्देश्य ट्रेड यूनियन आन्दोलन का गला घोंटना तथा मजदूर वर्ग के बढ़ रहे प्रति-

यह बैठक ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान के प्रति शानदार जवाब देने के लिये देश के मजदूर वर्ग को बधाई देती है और उसका अपनी एकता को और सुरक्षित व मजबूत बनाने तथा संघर्षों को और भी तेज करने का आह्वान करती है जिससे कि सरकार को अपने कदमों पर पुनर्विचार करने, इन विधेयकों को वापस लेने तथा अपनी मजदूर-विरोधी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सके.

मजदूर वर्ग को यह अवश्य समझना चाहिये कि ये विधेयक मौजूदा व्यवस्था के संकट को ही दिखाते हैं जिसमें शासक वर्ग अपने भारी मुनाफों को बरकरार रखने के लिये संकट का बोझ मजदूर वर्ग के ऊपर डालने की कोशिश करता है और इन हमलों तथा मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष समाज में परिवर्तन के लिये संघर्ष का अभिन्न हिस्सा है. अतः मजदूर वर्ग को एक लम्बे संघर्ष के लिये तैयार हो जाना चाहिये जिसमें उन्हें अपने वर्ग को एकजुट करते हुए एवं अपने सहयोगियों तथा तमाम जनवादी ताकतों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ना है. यह बैठक सीटू की राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे जीत को सुनिश्चित बनाने के लिये मजदूर वर्ग को ऐसे ही संघर्ष के लिये तैयार करें. □

औद्योगिक बीमारी पर

सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक उद्योगों में बढ़ रही बीमारी की हालत पर गहरी चिंता व्यक्त करती है जो कि दसियों हजार मजदूरों को निर्दयता पूर्वक नौकरियों से बाहर निकालकर तथा उन्हें परिवार सहित भूखों मरने के लिए मजबूर करके उनके जीवन को तबाह कर रही है.

यह बैठक स्पष्ट रूप से कहती है कि कोष का इधर-उधर हटाया जाना, प्रशासन के अन्दरुनी झगड़े, वर्षों से मजदूरों और मशीनरी दोनों का ही तिरस्कार तथा निर्मम शोषण एवं प्रशासन की अयोग्यताएं ही इस दुःखद हालात के लिये जिम्मेदार हैं. इस सब का मूल कारण है सरकार की नीतियां जो पूंजीवाद के विनाश के समय में पूंजीवाद को विकसित करने के इरादे से साधन जुटाने के लिये इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को खुश करती हैं. इनकी आयात नीति अब सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाइयों को भी नुकसान पहुंचा रही है.

उद्योगपति जो अभी तक की गयी लूट से संतुष्ट नहीं हैं अब फिक्की (ficci) के माध्यम से और रियायतों की मांग करने लगे हैं, जैसे—निवेश छूट को २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४५ प्रतिशत करना, उत्पादन पर २० प्रतिशत तक आबकारी छूट, आधुनिकीकरण के लिये बड़े पैमाने पर सस्ता कर्ज, बैंकों से अंशदान के लिये ब्रिवश आधुनिकीकरण पर्चियां जारी करके विशेष कोष की व्यवस्था आदि. मूल्य में कमी के नाम पर एकत्रित किये गये धन को पहले ही दूसरी चीजों में लगाकर अब वे आधुनिकीकरण और कार्यभार बढ़ाने जैसे हमले करने के लिये और कर्ज व राहत चाहते हैं, जो मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाने के अतिरिक्त देश में रोजगार की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे.

यह बैठक केंद्र में इंदिरा कांग्रेस सरकार की निंदा करती है जो बीमार उद्योगों को फिर से चालू करने के नाम पर छंटनी वेतन कटौती, आधुनिकीकरण तथा कार्यभार में वृद्धि के द्वारा मजदूरों को दंडित करने की नीति अपना रही है और इस प्रकार अक्षमता, भ्रष्टाचार तथा इजारेदार घरानों के बेईमानीपूर्ण एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहारों को बढ़ावा दे रही है तथा मालिकों को उनके अनावरण और गलत व्यवहारों के लिये दण्डित करने से इंकार करती है. पहले ही अधिग्रहण किये गये बीमार उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करने से इंकार करके सरकार ने इन प्रतिष्ठानों का धन बाहर निकाले जाने को जारी रखने की इजाजत दे दी है और वित्तीय संस्थानों के अधिकारीगण भी इससे धन कमा रहे हैं.

यह बैठक सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों से लगातार बढ़ रहे हैं. औद्योगिक बीमारी के खतरे के खिलाफ, जिसे अब मजदूरों की कीमत पर हल करने की कोशिश की जा रही है, संघर्ष करने के लिये एकजुट होने की अपील करती है.

महिलाओं पर अत्याचार

सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक पूरे देश में दहेज के कारण होने वाली मौतों महिलाओं के साथ बलात्कार और दुर्व्यवहार आदि की खतरनाक वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करती है.

संसद में गृहमंत्री द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर प्राप्त नवीनतम सूचनाओं के अनुसार राजधानी में वर्ष के प्रथम छः महीनों में दहेज के कारण १७ मौतें हुईं जबकि पिछले वर्ष के इसी समय में ११ तथा १९८० के पहले छः महीनों में ९ मौतें हुई थीं. दिल्ली पुलिस ने १९८०-८१ में युवा महिलाओं के तथाकथित आत्महत्याओं के १३७ मामले तथा १०० कत्ल का संदेह वाले मामले दर्ज किये. १९८० में पूरे देश में बहुओं को जलाने के ३९४ मामले हुए जिनमें केवल दर्ज किये गए मामले ही शामिल हैं. मां बाप भी उदासीनता, जो यह जानते हुए भी कि पतियों के परिवार वालों के द्वारा उनकी लड़कियों की उचित देखभाल नहीं होगी, दहेज देते हैं और ऐसे लालची पतियों के साथ अपनी बेटियों की शादी करते हैं, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की सड़न को ही दिखाती है.'

समाचार-पत्रों में प्रकाशित दो वर्ष पूर्व की केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट १९७५-७८ के दौरान महिलाओं के साथ अभद्र-व्यवहारों की संख्या का विस्तृत लेखा-जोखा पेश करती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा जहां पर कि १९७८ में ८२० मामले हुए और वर्ष में ७८७ मामलों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नम्बर पर रहा. उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार १९७८ में बलात्कार की कुल घटनाओं में ४१.२ प्रतिशत मामले उ० प्र० और म० प्र० में हुए. पूरे भारत में घटनाओं की कुल संख्या १९७५ में ३,३७५ थी जो १९७६ में बढ़कर ३,६८०, १९७७ में ३,९२२ तथा १९७८ में ३,८९९ हो गई. गृह मंत्री को संसद में यह स्वीकार करना पड़ा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. इसका

सबसे घृणित तथ्य तो ये है कि कानून की तथाकथित संरक्षक पुलिस अपराधियों को खुला संरक्षण देती है और बहुत से मामलों में तो वे स्वयं भी अपराधी हैं.

उत्तर प्रदेश में २३ अप्रैल १९८२ को बस्ती जिले के सिस्वा गांव में हुई कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार स्वयं पुलिस के द्वारा की जा रही बलात्कार, गांव के गरीबों के घर जलाने व लूटने की घटनाओं को रोक सकने में असफल रही है. यह घटना साफ सार पंचायत चुनावों के सवाल पर हुई जहां कांग्रेस (आई) का उम्मीदवार पराजित हो गया था और इसीलिए अपनी मर्जी से उम्मीदवार को वोट देने वालों के खिलाफ बदले की भावना से यह वीभत्स दमन किया गया. ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

वर्किंग कमेटी बलात्कार और कत्ल की शिकार महिलाओं के सम्मान की रक्षा कर सकने में असफल इन्दिरा कांग्रेस सरकार की निन्दा करती है. एक महिला प्रधान मंत्री के अधीन समस्त नीतिनिदेशक सिद्धान्त तथा सम्वैधानिक गारण्टियां मात्र कागजों तक ही सीमित हैं. सांसदों द्वारा संसद में सिस्वा गांव की घटना को उठाने तथा स्वयं महिलाओं के दिल्ली आने के बाद ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाहियां की गईं. संसद में पेश बलात्कार और दहेज सम्बन्धी संशोधन विधेयकों से भी सरकार अपने पैर पीछे हटा रही है.

यह बैठक ३ अगस्त १९८२ को संसद पर मार्च के आह्वान का स्वागत करती है जिसे दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों, छात्रों, नवजवानों तथा ट्रेड यूनियनों की नवगठित दहेज विरोधी समिति ने किया है. कमेटी इस तथ्य को भी नोट करती है कि इन हत्याओं के खिलाफ अभियान में ज्यादा से ज्यादा जनता हिस्सा ले रही है जिसकी शुरूवात दिल्ली तथा उसके आस पास हो चुकी है.

वर्किंग कमेटी महिलाओं के इन संघर्षों और मांगों का समर्थन करती है और तमाम राज्यों में अपनी सम्बद्ध यूनियनों को को निर्देश देती है कि वे महिला संगठनों द्वारा इन सवालों पर आयोजित कार्रवाइयों का समर्थन करें. वर्किंग कमेटी मजदूर वग और जनता को चेतावनी देती है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग निहित स्वार्थों के द्वारा ट्रेड यूनियन और जनवादी संघर्षों को दबाने के लिए वर्गीय हथियार के रूप में किया जा रहा है जो हांसी, हरियाणा और सिस्वा, उत्तर प्रदेश, की घटनाओं से साफ है. अतः ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि महिलाओं के साथ हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ जनचेतना को उभारने का काम अपने हाथों में लें क्योंकि महिलाएं जनवादी आन्दोलन का हिस्सा हैं : महिलाएं जो हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, उनके साथ हो रहे असम्मान के खिलाफ मजदूर वर्ग को उनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए. □

फूटपरस्त शक्तियों के खिलाफ

वर्किंग कमेटी की यह बैठक देश के विभिन्न हिस्सों में फूटपरस्त ताकतों के नेतृत्व में चल रहे आन्दोलनों की वृद्धि पर गहरा चिन्ता व्यक्त करता है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. असम में तीन वर्षों से चल रहे अलगाववादी आन्दोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकला है और राज्य की जनता को जनतांत्रिक सरकार से वंचित रखा जा रहा है. त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजाति युवा समिति तथा आमरा बंगाली ने अन्ध-राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने की भरपूर कोशिश की और इसमें असफल होने पर अब उन जनवादी ताकतों के खिलाफ कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले कर रहे हैं जो आदिवासियों तथा और लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने में लगे हुए हैं. पंजाब में अलग से खालिस्तान की मांग उठाई जा चुकी है और अन्ध-साम्प्रदायिक ताकतें पंजाबी भाषी सिखों और हिन्दुओं को बांटने के लिए मन्दिरों और गुरुद्वारों को दूषित करके साम्प्रदायिक भावना भड़काने में लगी हुई हैं. जहां एक तरफ आर. एस. एस. हिन्दू राष्ट्र का नारा देकर हिन्दू सम्मेलनों के माध्यम से साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है वहां दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के नेतृत्व में मुस्लिम तत्ववादियों ने जम्मू-कश्मीर साम्प्रदायिक लाइन पर अपनी कारगुजारियों को तेज कर दिया है और देश की एकता की रक्षा करने वाली जनवादी ताकतों पर सबसे घृणित हमले शुरू कर दिए हैं. चर्च का एक हिस्सा आदिवासियों को बाकी पूरे देश से अलग करने के लिए अभियान में तेजी के साथ लगा हुआ है. यह विश्वास करने के लिए प्रत्येक कारण मौजूद हैं कि यह सब देश की उस अखण्डता और एकता को खण्डित करने के लिए घृणित साजिशों का ही एक हिस्सा है जो पिछली शताब्दी में बहुत सारी कुर्बानियों के द्वारा पैदा की गई थी. असम आंदोलन के पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद का हाथ स्पष्ट रूप से देखा गया है.

यह बैठक इन घृणित ताकतों के खिलाफ हस्तक्षेप करने तथा दृढ़ कदम उठाने में असफल केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकार की निन्दा करती है. दूसरी तरफ सरकार अपने संकीर्ण दलीय हितों के लिए उनके साथ बातचीत करती रही है और इन ताकतों के साथ समझौते करती रही है जब कि वामपंथी जनवादी शक्तियां कातिलाना हमले के बावजूद इन काली ताकतों के खिलाफ संघर्ष करती रही हैं. यह सरकार वामपंथी जनवादी ताकतों को सुरक्षा प्रदान करने में कतई असफल रही है जो कि राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं.

यह बैठक सीटू तथा उन सभी वामपंथी जनवादी ताकतों को बधाई देती है जो तमाम कायरतापूर्ण हमलों का सामना करते हुए कीमती जान की कीमत पर राष्ट्रीय अखण्डता और देश की एकता की रक्षा कर रहे हैं. बैठक इन राक्षसी शक्तियों के हाथों अपनी जान कुरबान करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.

यह बैठक मजदूर वर्ग को सावधान करती है कि वह यह महसूस करे कि मौजूदा पूंजीवादी सामन्ती सरकार राष्ट्रीय एकता की रक्षा सफलतापूर्वक नहीं कर सकती है और इससे देश की स्वतन्त्रता को ही खतरा पैदा हो गया है. मजदूर वर्ग को

शेष पृष्ठ ३८ पर

वर्किंग कमेटी में पारित प्रस्ताव.....

(पृष्ठ २६ से आगे)

यह भी समझना चाहिए कि जब तक वे आगे बढ़कर नहीं आते और राष्ट्रीय एकता तथा देश की एकता और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए तमाम मजदूर वर्ग को एकजुट करके तमाम देश भक्त और जनवादी ताकतों को लाम बन्द नहीं करते तब तक इन घृणित साजिशों को पराजित नहीं किया जा सकता है. यह बैठक सभी सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि वे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हमलों का एकजुट होकर सामना करने के लिए अपनी कोशिशों को पुनः दूना कर दें और अपनी भूमिका निभाएं. इस भूमिका को केवल अपने विनाश की कीमत पर ही नजर अन्दाज किया जा सकता है. □

सीटू सेक्रेटेरियट.....

(पृष्ठ २७ से आगे)

न्यूनतम वेतन के लिये संघर्ष

सेक्रेटेरियट ने दिल्ली राज्य कमेटी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि दिल्ली व आसपास के राज्यों से प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाए ताकि बेहतर न्यूनतम वेतन के लिए आंदोलन की संभावना पर विचार किया जा सके. कामरेड पी. राममूर्ति ३ सितंबर को इस बैठक को आयोजित करेंगे.

सीटू का पांचवा सम्मेलन

सेक्रेटेरियट ने पांचवें सम्मेलन की तारीख व स्थान पर विचार किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला. यह फैसला हुआ कि आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जायेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में वेतन समझौता वार्ताएं

सेक्रेटेरियट ने भेल व इस्पात उद्योग में वेतन समझौता वार्ताओं की मौजूदा स्थिति की तथा कोयला उद्योग में जे बी सी सी आई को पुनर्गठित करने के कदम के बारे में रिपोर्ट सुनी. समझौतावार्ताओं में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार किया गया.

विद्युत मजदूरों का सम्मेलन

सेक्रेटेरियट ने विद्युत मजदूरों का एक सम्मेलन आयोजित करने के सवाल पर विचार किया और सम्मेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों को तय किया.

सेक्रेटेरियट ने पिछली वर्किंग कमेटी के अध्यक्षीय भाषण, महासचिव की रिपोर्ट व प्रस्तावों को, अगर लागत इसकी इजाजत दे तो, प्रकाशित करने का भी फैसला लिया. □

1. त्रिपुरा अपेक्स वीवर्स कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पंजीकरण 19 फरवरी 1979 को हुआ.
2. सदस्यता—52 प्राइमरी वीवर्स सोसाइटी और राज्य सरकार ने भी भाग लिया.
3. त्रिपुरा राज्य के 800 (आठ सौ) बुनकर (वीवर) परिवारों को लाभ.
4. बुनकरों के कमजोर तबकों से हथकर्घा वस्तुओं को खरीदना और उनके लिए बाजार का प्रबन्ध करना.
5. हथकर्घा वस्तुओं की सालाना खरीद (पिछले साल)—35 लाख
   ,, ,, ,, ,, बिक्री (,,)—20 लाख

संपर्क करें

त्रिपुरा अपेक्स वीवर्स कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड
त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रायोजित

पंजीकृत कार्यालय : अगरतला, त्रिपुरा
खोश बागान, अगरतला.